दैनिक
नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...

www.navpradesh.com | रायपुर, शुक्रवार 18 दिसंबर 2020, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-284 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

कोरोना ने संसद का शीतकालीन सत्र भी निगल लिया। सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे का हवाला देकर संसद का शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया है। जबकि कोरोनाकाल में ही बिहार विधानसभा और हैदराबाद नगर निगम सहित कई चुनाव निपटे है। जिसमें हजारों की भीड़ रैली व आम सभाओं में जुटती रही। देश भी लगभग खुल ही चुका है। दिल्ली की सीमाओं पर लाखों किसान आंदोलन कर रहे है। कही भी कोरोना का डर नहीं लेकिन संसद में इसका खतरा है। खैर यह सरकार का फैसला है। जनता को मुफ्त के मनोरंजन के लिए बजट सत्र का इंतजार करना पड़ेगा।

भगवान राम ने छग में बिताया ज्यादा समय: भूपेश

प्रदेश को नई पहचान व किसानों के लिए हित में कई योजनाएं ले रही आकार

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। राम वन पथ गमन रथ यात्रा का आज चंदखुरी में समापन हुआ। इस अवसर पर पूरा मंत्रीमंडल एक मंच पर नजर आया। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सलवाद के नाम से थी और कहा जाता था कि रायपुर पहुंचते ही नक्सली मार देंगे। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और प्रदेश में विकास की बयार को लेकर हम काम कर रहे हैं। किसानों के साथ रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं।

भगवान राम ने हमारे यहां सबसे ज्यादा

समय बिताया है । छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन को पर्यटन के साथ विश्व पटल पर पहुंचाने में हमारी सरकार काम कर रही है। हम भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ और हजारों लोगों ने इस रथ यात्रा का स्वागत किया जिसके बाद आज कौशिल्या माता के मंदिर में यह रथ यात्रा समाप्त हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए बेहतर काम किया और रोजगार के साथ आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष राजीव गांधी न्याय योजना को लागू कर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। केन्द्र सरकार यदि छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना को अपना ले तो किसान आंदोलन एक दिन में समाप्त हो जाएगा। ■ शेष पृष्ठ 5 पर

किसानों की आय में वृद्धि के लिए 1036 करोड़ रूपए की चिराग परियोजना को विश्व बैंक ने दी स्वीकृति

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की पहल पर राज्य के बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों के कृषि विकास तथा उनके पोषण स्तर में सुधार तथा कृषि उपजों के मूल्य संवर्धन द्वारा कृषकों की आय वृद्धि हेतु 1036 करोड़ रूपए की विश्व बैंक सहायतित 6 वर्षीय परियोजना 'चिराग' को विश्व बैंक वाशिंगटन डी.सी.(यू.एस.) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। चिराग परियोजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकासखण्डों बस्तर, बकावंड, बड़ेराजपुर, माकड़ी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण, सुकमा, छिंदगढ़, भैरमगढ़, भोपालपट्नम, चारामा एवं नरहरपुर तथा मुंगेली जिले के मुंगेली विकासखण्ड के 1000 गांवों में क्रियान्वित की जाएगी।

केबिनेट बैठक: कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन का अनुमोदन

■ छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 प्रस्ताव को मिली मंजूरी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में जहां छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, वहीं छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों के द्वारा राज्य के प्रदायकों से ही सामग्री क्रय का निर्णय लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। गोधन न्याय योजना के तहत

उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर 8 रूपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रूपए प्रति किलोग्राम करने के निर्णय का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया।

दुर्ग जिला गृह निर्माण समिति राजनांदगांव (मोहन नगर) को आबंटित नजूल भूमि के पट्टा निष्पादन की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

खास- खबर

पीएसएलवी-सी50 का सफल प्रक्षेपण

श्रीहरिकोटा (वार्ता)। संचार उपग्रह सीएमएस-01 को लेकर जा रहे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी50 का गुरुवार को सफ्ल प्रक्षेपण किया गया। पीएसएलवी-सी50 ने 25 घंटों तक चली उल्टी गिनती के बाद आज अपराह्न 03:4 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लांच पैड से उड़ान भरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के निदेशक डॉ. के शिवन और मिशन नियंत्रण केंद्र के अन्य वैज्ञानिकों की मौजूदगी में चार-चरणों वाले 44.4 मीटर लंबे प्रक्षेपण यान ने शानदार तरीके से उड़ान भरी। इस दौरान सभी वैज्ञानिक अपनी सांसे थामे प्रक्षेपण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे रहे। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद, सीएमएस -01 को सभी चार चरणों के प्रज्वलन और पृथक्करण के बाद पृथ्वी की कक्षा जीटीओ में स्थापित कर दिया जाएगा।

दो साल में टोल टैक्स संग्रह से मुक्त हो जाएंगे टोल प्लाजा: गडकरी

नई दिल्ली (वार्ता)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार टोल संग्रह को आसान बनाने के लिए इसे जीपीएस प्रणाली से जोड़ रही है ताकि जाम की समस्या से निजात मिले और यात्रा को आसान बनाया जा सके।

श्री गडकरी ने गुरुवार को यहां वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले दो साल में टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रह को जीपीएस प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए जीपीएस तकनीकी को अपनाया जा रहा है जिसके तहत वाहन पर नज़र रहेगी और जैसे ही वाहन टोल प्लस क्षेत्र में आएगा तत्काल वाहन के मालिक के बैंक खाते से टोल शुल्क की राशि को काट दिया जाएग।

भारत बंगलादेश के बीच पांचवा रेलसंपर्क बहाल

द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौतें

नई दिल्ली (वार्ता)। बंगलादेश मुक्ति संग्राम की 50वें वर्ष के मौके पर भारत ने बंगलादेश के लिए आज पांचवे रेल संपर्क मार्ग हल्दीबाड़ी-चिल्हाटी रेललाइन का शुभारंभ किया और परस्पर सहयोग के सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच यहां वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये निर्णय लिये गये। शिखर बैठक में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों में हाइड्रोकार्बन, पर्यावरण, संस्कृति, कृषि एवं वाणिज्य क्षेत्र के करार के अलावा स्थानीय

निकायों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता, बारीसाल में कचरा निस्तारण संयंत्र तथा भारत बंगलादेश सीईओ फोरम के गठन के लिए शर्तें एवं नियमावली शामिल हैं। बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संतोष के साथ यह माना कि भारत एवं बंगलादेश के बीच 1965 के पूर्व के रेलमार्गों को बहाल किया जा रहा है।

ममता बनर्जी को 24 घंटे में तीन बड़े झटके

शुभेंदु अधिकारी, दीप्तांगशु चौधरी के बाद विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी दिया इस्तीफा

कोलकाता (वार्ता)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। गुरुवार को ममता बनर्जी के तीन सहयोगियों ने उन्हें अलविदा कह दिया। पार्टी के प्रभावशाली नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी तो साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष दीप्तांगशु चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा विधायक जितेंद्र तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जितेंद्र

तिवारी का आरोप है कि पार्टी की सदस्यता और आसनसोल के महापौर पद से इस्तीफे के तुरंत बाद पनडाबेश्वर में उनके दफ्तर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने टीएमसी के पश्चिम बर्द्धमान जिला अध्यक्ष का पद भी त्याग दिया है। उन्होंने पार्टी के राज्य प्रमुख सुब्रत बख्शी को लेटर भी भेजा है।

मुलाकात की जरूरत नहीं

आसनसोल में रैली निकालने से रोके जाने के बाद उन्होंने लिखा, ''अब शुक्रवार को ममता बनर्जी से मुलाकात की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस बात पर फैसला नहीं लिया है कि मैं विधानसभा से इस्तीफा दूंगा या नहीं।'' तिवारी ने मीडिया से कहा, ''मैंने आसनसोल नगर निगम प्रशासक मंडल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, ऐसे में मैं इस पद को रख कर क्या करूंगा? इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है।''

सोशल मीडिया में ''सीजी स्वाभिमान के दो साल'' लगातार कर रहा ट्रेंड

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सोशल मीडिया फेसबुक और ट्विटर पर #CGSwabhimaanKewSaal लगातार ट्रेन्ड करता रहा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ किसानों, मजदूरों, आदिवासियों और वनवासियों सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनका धरातल पर गहरा असर दिख रहा है।

सेना की ताकत में होगा और इजाफा

हथियारों की खरीद के लिए 28 हजार करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी

नई दिल्ली(वार्ता)। चीन और पाकिस्तान से सीमा पर लगातार मिल रही चुनौतियों से निपटने और देश के खिलाफ किसी भी नापाक मंसूबों को धराशायी करने के लिए भारतीय सेना को जल्द ही और नए हथियार, उपकरण और अन्य साजो-सामान मुहैया कराए जाएंगे।

इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने घरेलू उद्योगों से 28,000 करोड़ रुपए के उपकरण, साजो सामान की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी

दी। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा, भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की हथियार और उपकरणों सहित अन्य सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 28 हजार करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है, उनमें वायु सेना के लिए विमानों की मौजूदगी का पता लगाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली, नौसेना के लिए अपतटीय गश्ती पोत शामिल हैं।

टिप्पणी | कृषि कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा

प्रदर्शन का हक लेकिन समाधान बातचीत से ही निकलेगा

नई दिल्ली। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ 20 दिन से दिल्ली सीमा पर किसान आंदोलन का हल फ्लिहाल सुप्रीम कोर्ट से भी निकलता नहीं दिख रहा है। किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। देश की सर्वोच्च अदालत ने दूसरे दिन सुनवाई करते हुए कहा कि मामले के निपटारे के लिए समिति का गठन किया जा सकता है। इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि किसानों को प्रदर्शन से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन साथ ही किया कि अगर किसान आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नए कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए रोकने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे किसानों से बातचीत

संभव हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि इस मामले का समाधान होने तक सरकार क्या किसानों को कानून लागू न करने का आश्वसान दे सकती है।

अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि वह तुरंत इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं।

चीफ जस्टिस और अधिवक्ता साल्वे की बीच हुए कुछ महत्वपूर्ण बातचीत

चीफजस्टिस ऑफइंडिया : दिल्ली बॉर्डर को ब्लॉक करने से शहर के लोगों के लिए खाने-पीने की समस्या खड़ी हो सकती है। आपकी (किसान) मांगों का समाधान बातचीत के जरिए हो सकता है। बस केवल धरने पर बैठ जाने से समाधान नहीं निकलेगा।

सीजेआई: हम भी भारतीय हैं। हम भी किसानों की स्थिति को समझते हैं और उनके मुद्दों पर सहानुभूति का भाव भी रखते हैं। आपको (किसानों को) केवल प्रदर्शन के तरीके को बदलना होगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं और इस संबंध में एक समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं।

सीजेआई: हम आज नए कृषि कानूनों की वैधता पर फैसला नहीं करेंगे। देश के नागरिकों के देश में कहीं भी स्वतंत्रता से जाने के अधिकार पर सुनवाई की जाएगी।

हरीश साल्वे: किसान आंदोलन से जीवन जीने के अधिकार पर असर पड़ रहा है। दिल्ली मे फल-सब्जियां दूसरे राज्यों से आती हैं। रास्ते जाम होने से इनके दाम बढ़ रहे हैं।

हरीश साल्वे: प्रदर्शन के अधिकार में संतुलन जरूरी है। जीवन के अधिकार को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी से दिल्ली के दो करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसान आंदोलन से दिल्ली के सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं।

सीजेआई : कानून के खिलाफ प्रदर्शन मौलिक अधिकार है, हां इससे किसी दूसरे का जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए।

संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चलाने पर भड़की प्रियंका

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करने पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गुरुवार को कहा कि वह पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए संसद सत्र आयोजित करती है लेकिन किसानों

की समस्या पर बात नहीं हो, इसलिए शीतकालीन सत्र टाल देती है। श्रीमती वाड्रा ने कहा कि सरकार ने मानसून सत्र कोरोना संकट के बीच चलाया और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा देने के लिए तीन कृषि कानून पारित कराए। किसान इन कानूनों में की गई व्यवस्था के खिलाफआंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार आंदोलन खत्म करने के लिए ना उनसे बातचीत कर रही है और ना ही संसद का शीतकालीन सत्र बुला रही है। श्रीमती वाड्रा ने ट्वीट किया कोरोना काल के बीच में संसद चलाकर भाजपा सरकार ने अरबपति मित्रों के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को पास कर दिया लेकिन किसानों की मांग पर, 11 किसानों की शहादत और बाबा राम सिंह की आत्महत्या के बावजूद किसान बिलों पर चर्चा के लिए संसद नहीं खुल सकती।

न्यूज गैलरी

घासीदास जयंती पर निकाली शोभायात्रा

कुम्हारी। आत्मीय स्वजन सामाजिक जन मानस बन्धुओ द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी महान संत शिरोमणि गुरु घासीदास जन्म दिवस गुरु पर्व जयंती उत्सव 18 दिसम्बर के उपलक्ष्य में आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया। जिसमें समाज के समस्त सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में बाजे गाजे झंडे के साथ अपनी संस्कृति का परिचय देते हुए सतनाम भवन से शोभायात्रा प्रारम्भ कर कपड़ा मार्केट से महामाया रोड बाजार चौक होते हुए पुनः गुरुघासीदास मंदिर पहुँची।

आज मांस बिक्री बंद

रिसाली। छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के तहत दिनांक 18 दिसंबर को गुरूघासी दास जंयती एवं 21 दिसंबर को संत तारण तरण जयंती के अवसर पर निगम क्षेत्रों में समस्त पशुवधगृह, जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केन्द्रों को बंद कराते हुए शासन के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी जगरनाथ कुशवाहा ने वार्डो में सुपरवाइजर को दिए है।

आज कुंदरापारा में लगेगा स्वास्थ्य शिविर

दुर्ग। निगम द्वारा आज आपापुरा वार्ड, बोरसी वार्ड 51, औद्योगिक नगर वार्ड 18, किल्ला मंदिर वार्ड 7 में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किय। इस दौरान 191 लोगों ने नाम दर्ज कराये वहीं 161 लोगों ने जांच करवाकर दवाई लिये। 42 मरीजों ने खून और शूगर की जांच कराये। 18 दिसंबर को मग्गा होटल जीवन प्लाजा के पास झोपड़पट्टी में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जावेगा। इसी प्रकार पोटियाकला वार्ड कुंदरा पारा मेंए शहीद भगत सिंह वार्ड दुर्गा मंच में और ब्राम्हण पारा वार्ड 32 के ढीमर पारा पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास मोबाइल चिकित्सा यूनिट का शिविर लगाया जा रहा है । वार्ड निवासियों से अपील है कि वे अपनी स्वास्थ्य का निःशुल्क जांच कराकर निःशुल्क दवाई लेकर अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा करें । आज के मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर में जांच करायी।

विफलताओं का जश्न मना रही है कांग्रेस सरकार : बृजमोहन

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। पूर्व कृषि मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार द्वारा दो वर्ष के कार्यकाल पर मनाए जा रहे जश्न पर सवाल खड़े करते हुए दो वर्ष के कार्यकाल को पूरी तरह असफल करार दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में किसान, नौजवान, महिला और मजदूर आदि सभी वर्ग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में इन दो वर्षो में हर क्षेत्र में माफिया काबिज हो गए हैं। स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है। सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार द्वारा जनता से किए गए वादे भी अब तक पूरे नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं का जश्न मना रही हैं। जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने किसान न्याय योजना को किसान अन्याय योजना निरुपित किया। उन्होंने कहा कि किसानों से पिछले सीजन में 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदे गए धान की पूरी कीमत 15 माह बाद बीत जाने के बाद भी नहीं मिली। इसके अलावा इस सीजन में खरीदे जा रहे धान का भुगतान कब किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दो साल का बोनस नहीं दिया गया। किसानों के खेत के रकबे में कटौती कर उन्हें प्रताड़ित जा रहा है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना को पूरी तरह फ्लाप बताते हुए उन्होंने कहा कि इन दो वर्षो में नरवा पर कोई काम नहीं हुआ। वहीं गरवा योजना गायों की मौत का सबब बन रही है। गायों को अंधेरे व बंद कमरे में बंद किया जा रहा है जिससे दम घुटने से उनकी मौतें हो रही है। गौठान योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि इससे सरपंच कर्जदार हो गए हैं। बांस तिरपाल से 15 लाख से 50 लाख तक की लागत से गौठान बनाए गए हैं जो हवा में उड़ रहे है। पूर्व में श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा औजार, सायकल, सिलाई मशीन, छात्रवृति दी जाती थी जिसे बंद कर दिया गया है। जबकि 300 करोड़ इस खातें में जमा है। क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा है। उन्होंने कवर्धा की घटना का उदहारण देते हुए कहा कि प्रदेश में बलात्कारियों को बचाने की साजिश की जा रही है। कोविड़ में स्कूल कालेज बंद हैंए बच्चों की पढ़ाई कैसे होगीए उनका भविष्य कैसे बनेगाए इस पर सरकार की कोई नीति नहीं है। वादों पर अमल नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि गंगाजल लेकर शराब बंदी का वादा करने वाली सरकार के राज में सरकार के संरक्षण में गली गली में शराब बिक रही है। पिछले दो वर्षो से एक भी युवा को नौकरी नहीं मिली। पूर्व में जो युवा सलेक्ट हुए थेए उन्हें भी पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। पुराने सलेक्शन को कैंसिल किया जा रहा है। नई नौकरियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। संविदा, दैनिक वेतन भोगी, ठेका पद्धति में काम करने वालों को नियमित किए जाने का वादा किया गया थाए जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। पत्रवार्ता में पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, जिला मंत्री संतोष सोनी, शिव चंद्राकर, दिनेश देवांगन, डोमार वर्मा, सरिता मिश्रा व मिडिया प्रभारी सतीश समर्थ समेत अन्य भाजपाई मौजूद थे।

प्रदर्शनी में दिखी विकास कार्यों की झलक

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। राज्य सरकार की उपलब्धियों को दिखाने वाली तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ आज विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने किया। इस प्रदर्शनी में राज्य शासन द्वारा 2 वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण नवाचार एवं आरंभ की गई विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई है। शुभारंभ के मौके पर विधायक यादव ने कहा कि इस प्रदर्शनी में राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का समावेश किया गया है। शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर ग्रामीण विकास तक की इन योजनाओं के माध्यम से 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ में हुए बदलाव को दिखाया गया है। प्रदर्शनी में राज्य शासन द्वारा आरंभ की गई नरवा, गरुवा, घुरूवा, बाड़ी योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, स्लम स्वास्थ्य जैसी योजनाओं से आए जमीनी बदलाव को रेखांकित किया गया है। प्रदर्शनी में यह बताया गया है कि किस प्रकार से इन योजनाओं से बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ हुआ। किस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा मिला और किस तरह से इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में ठोस आर्थिक विकास की शुरुआत हुई। प्रदर्शनी में विशेष रूप से ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया है। प्रदर्शनी आम जनता के लिए काफी उपयोगी होगी। 2 वर्षों में आरंभ किए गए हैं और प्रदर्शनी के छोटे से स्पेस के माध्यम से इतनी सारी योजनाओं को प्रदर्शनी में काफी संतोषजनक प्रयास किया गया है।

मार्निंग विजिट कर निचली बस्तियों में पहुंच रहे है आयुक्त

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की मंहती योजनाओं को अमलीजामा पहनाने निगम प्रशासन की सक्रियता ने स्वास्थ्य व स्वच्छता के साथ.साथ शिविरों के माध्यम से जनसमस्यों का निराकरण कर जहां सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया हैए वहीं निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे एवं नोडल अधिकारी रमाकंत साहू की वार्डो में प्रतिदिन मार्निंग विजिट कर एवं शाम को कार्यालय में दिन भर की क्रियान्वयन किये जाने कार्यो का समीक्षा बैठक का जनमानस में निखरने लगी है निगम की छवि। निगम वार्डों में शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य शिविर नेवई बस्ती पूर्व में लगी शिविर में पहुंचकर निगम आयुक्त ने जायजा लिया। आयुक्त ने मेडिकल मोबाइल युनिट के डॉ. गौरव चन्द्राकर से दवाइयों की स्टाक की उपलब्धता की जानकारी ली वहीं लैब टेस्ट का निरीक्षण कर लैब टैक्निशियन को उचित दिशा निर्देश दिये। इस दौरान आयुक्त ने मौके पर उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं मितानिनों व वार्ड सुपरवाइजर को मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं शिविर का प्रचार.प्रसार करने के भी निर्देश दिये। शिविर में गंभीर शारीरिक विकारों से संबंधित 57 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया।

कांग्रेस ने किया वरिष्ठजनों का सम्मान

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। छग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू के तत्वाधान में जनसम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के कुशलतापूर्वक दो वर्ष पूर्ण करने पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले छग शासन की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले विशेष जनों एवं वरिष्ठ कांग्रेसजनों का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस दौरान महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व राज्य मंत्री बीडी कुरैशी, पूर्व महापौर नीता लोधी, पूर्व साडा उपाध्यक्ष बृजमोहन सिंह, प्रदेश महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया, पूर्व प्रदेश सचिव सीजू एंथोनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन गुप्ता एवं शहर के समस्त प्रकष्टो के पदाधिकारियों की विशेष उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष साहू ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रदेश निरंतर तरक्की एवं उन्नति कर रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सभी वर्गो को ध्यान में रखकर कार्य कर रही। किसान, मजदूर, विद्याथी, जनजाति, व्यापारियों, कर्मचारियों तथा सभी के हितों और विकास के लिए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय को लेकर कार्य कर रही है।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री महेश कुमार चाण्डक आ. काशीराम जी चाण्डक साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम पीसेगांव प.ह.न. 27 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 559 रकबा 0.210 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता राधिका आ. इन्दल से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 28.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री महेश कुमार चाण्डक आ. काशीराम जी चाण्डक साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम पीसेगांव प.ह.न. 27 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 559/3 का टु. रकबा 0.10 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता देवेन्द्र कुमार देशमुख आ. किसनलाल से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 28.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री तामेहा कुमार वर्मा आ. श्री छत्तर सिंह वर्मा साकिन मरोदा सेक्टर भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 19/22 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 538/5 रकबा 0.020 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता नूतन कुमार आ. फूलसिंह सिन्हा से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 31.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री साकेत जैन आ. मोतीलाल जैन साकिन भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 358/2 रकबा 0.020 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता सरोज साहू वगै. आ. गणेश्वर लाल से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 24.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

मा.क्र./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती हीरो बाई एवं अन्य निवासी सिकोलाभाठा द्वारा मौजा सिकोला प.ह.नं. 08 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 12/2, 13/2 रकबा क्रमशः 0.298, 0.3610 कुल रकबा 0.6550 हे. भूमि चुनुराम के नाम पर दर्ज है। चुनुराम के द्वारा छल कपट कर अपने पिता की मृत्यु पश्चात अकेले वसीयत होने का फौती दर्ज कराया है। जबकि और वसीयत है। आवेदक गण के द्वारा सुखीराम के वसीयत होने के कारण अपना भी नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 30.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम राजेन्द्र साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400203

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राजेन्द्र साहू आ. केसोराम साहू निवासी वार्ड 16 पुरानी बस्ती कुरुद भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ तह.व जिला दुर्ग	495/41	0.014 हें 1491 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम शंभूनाथ कश्यप | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400204

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शंभूनाथ कश्यप आ. शिवानंद प्रसाद निवासी 52/1 मैत्रीनगर रिसाली भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	748/7	0.011 हें 1208.33 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम दीपक कुमार मेश्राम | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202012100400201

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दीपक कुमार मेश्राम आ. सालिकराम मेश्राम निवासी रुआबांधा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	1226/7	0.018 हें 2000 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका हेमलता बेहरा पिता/पति एस नागरासन निवासी क्वा.नं. 10 सी, एचएससीएल कालोनी रुआबांधा भिलाई तह. व जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 834/38 रकबा 1782.5 हे. भूमि को विक्रेता कंवर सिंह पिता स्व. शिवलाल सिंह से दिनांक 14.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 31.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री दिलीप गोस्वामी पिता लक्ष्मण प्रसाद निवासी जवाहर नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 834/38 रकबा 1102 वर्गफीट भूमि को विक्रेता कंवर सिंह पिता स्व. शिवलाल सिंह से दिनांक 14.12.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 31.12.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री गुहाराम चंद्राकर आ. गोकुल प्रसाद चंद्राकर साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम थनौद प.ह.न. 28 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1791/2, 1789, 1790, 1794 रकबा 1.100 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता लक्ष्मण आ. चन्दूलाल से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 30.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री महेश कुमार चाण्डक आ. काशीराम जी चाण्डक साकिन दुर्ग द्वारा ग्राम पीसेगांव प.ह.न. 27 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 559 का टु. रकबा 0.310 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता गोपाल सेन आ. बंशीलाल सेन से क्रय किया गया है कि नामांतरण किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को आवेदक के नाम पर नामांतरण किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 28.12.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

// आम-सूचना //

मैं रामलखन यादव पिता जालिम प्रसाद यादव निवासी सेक्टर भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं। मैने डायवर्सन कराने बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हूं। मेरे नाम पर मौजा रिसाली प.ह.न. 19/22 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 224/7 रकबा 0.02 हे. अर्थात 2100 वर्गफीट दर्ज हो गया है। जो त्रुटिवश है। मेरे उक्त प्लाट का खसरा नं. 224/7 रकबा 0.02 हे. जबकि सही वर्गफीट 2400 वर्गफीट का डायवर्सन कराना चाहता हूं। उक्त प्लाट 2100 वर्गफीट त्रुटिवश हो गया है जो कि सही 2400 वर्गफीट दर्ज कर डायवर्सन करने के समर्थन में यह शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः शपथ पत्र प्रस्तुत है।

स्थान- दुर्ग

दिनांक -16.12.2020

शपथकर्ता — रामलखन यादव, निवासी सेक्टर भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुहर

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पिनेश कुमार रिगरी पिता रमेश कुमार रिगरी निवासी कोटनी तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम नगपुरा प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 1822/11 रकबा 0.011 हे. मे से 900 वर्गफीट भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता गुंजन कुमार पिता मोहन कुमार के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 28.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा सर्किल (छ.ग.)

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक महेश कुमार चाडक आ. काशीराम जी चाडक साकिन वार्ड 55 पुलगांव के द्वारा ग्राम अछोटी प.ह.न 36 रा.नि.मं. तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 981 रकबा 0.070 हे. भूमि को विक्रेता दौवा पिता बरतिया से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 26.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

राजस्व मामले में नोटिस

मा.क्रं. 51/अ-70/ वर्ष 2018-19

ऑनलाईन रजि. 201908100400088

सक्षम न्यायालय - अनुविभागीय अधिकारी रा. दुर्ग।

मामले का विषय- राजस्व अपील प्रकरण।

पंजीयन दिनांक 23.08.2019

आवेदकगण- श्री ईश्वर सिंह यादव आ. केहर सिंह यादव उम्र 46 वर्ष एवं अन्य 01।

विरुद्ध

अनावेदकगण- खिलावन प्रसाद बंछोर आ. रामलाल बंछोर एवं अन्य 01

दावा- श्रीमती विमला देवी पति पन्नालाल यादव, निवासी यादव पशु आहार जुनवानी चौक कोहका भिलाई तह. व जिला दुर्ग।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी श्री ईश्वर सिंह यादव आ. केहर सिंह यादव एवं अन्य 01 निवासी ओव्हरब्रिज के नीचे कैलाश नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायाब तहसीलदार दुर्ग के रा.प्र.क्र. 08 अ/70, 2006/07 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2008 से व्यथित होकर इस न्यायालय में छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 44 (1) के तहत अपने अधिवक्ता श्री एसएल यादव एवं एनएल यादव के माध्यम से अपील प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अपील ज्ञाप के साथ ही म्याद अधिनियम की धारा 05 तथा अंतर्गत धारा 52 वास्ते स्थगन के तहत् आवेदन एवं शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आपको साधारण तथा रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित किया गया है किन्तु नोटिस की तामिली नहीं हो सकी है। अपीलार्थी द्वारा आदेश 5 नियम 20 सी.पी.सी. के तहत स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से नोटिस तामिल कराए जाने बाबत् आवेदन पेश किया गया है, जिसे स्वीकार किया गया?

इस नोटिस का प्रकाशन अपीलार्थी के व्यय पर स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से कराया जा रहा है, अपील प्रकरण में आगामी पेशी तिथि 24.12.2020 नियत है। एतद् द्वारा आपको संसूचित किया जाता है कि आप उपर्युक्त मामले में नियत पेशी तिथि पर स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। नियत दिनांक को अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

आज तारीख 15.12.2020 को जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202011101000091

विषयः अ-06 | वर्ष 2020-21

कोहका प.ह.न. 00019 हे.)

पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- अध्यक्ष नरेन्द्र देव जैन

अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष नरेन्द्र देव जैन अन्य पता शांति नगर भिलाई के द्वारा श्री जैन स्वेताम्बर मंदिर एवं जिनकुशल दादा बाड़ी ट्रस्ट वैशाली नगर भिलाई की भूमि स्वामित्व के ग्राम कोहका प.ह.न. 19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 7601 का भाग रकबा 5000 वर्गफीट भूमि का नामांतरण नजूल अधिकारी महोद्य दुर्ग के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 21.12.2020 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27.11.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी- राजस्व

मा.क्र. 202012101200010

विषय:-अ-6 | वर्ष 2020-21

अण्डा प.ह.न. 00035 (212/5(0.0060 हें0)

पक्षकारों का वितरण- आवेदक पक्षकार - मोहम्मद हबीब खान

अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मोहम्मद हबीब खान पिता मोहम्मद जुम्मन खान निवासी प्रिंस बार के पीछे गंजपारा दुर्ग ग्राम अण्डा प.ह.नं. 35 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 212/5 रकबा 0.006 हे. भूमि विक्रेता घनश्याम धनकर पिता रम्हउराम धनकर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14.12.2020 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी- राजस्व

मा.क्र. 202012101200014

विषय:-अ-6 | वर्ष 2020-21

मतवारी प.ह.न. 00045 (461/2(0.3000 हें0)

पक्षकारों का वितरण- आवेदक पक्षकार - सरोज साहू

अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सरोज साहू पति स्व. गणेश्वर लाल साहू एवं अन्य 2 निवासी छाया गार्डन प्रगति नगर रिसाली भिलाई जिला दुर्ग तह व जिला दुर्ग ग्राम मतवारी प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 461/2 रकबा 0.30 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। केजई बाई पति बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 10.07.2019 को हो चुकी है जिससे उनकी फौती दर्ज कर वारिसानों के नाम पर नामांतरण किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14.12.2020 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी- राजस्व

मा.क्र. 202012101200011

विषय:-अ-6 | वर्ष 2020-21

चन्दखुरी प.ह.न. 00029 (1581/6(0.0110 हें0)

पक्षकारों का वितरण- आवेदक पक्षकार - मोरध्वज सोनी

अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मौरध्वज सोनी पिता श्री खूबीराम सोनी निवासी म.न. 112 वार्ड 11 खरिसार रोड मेन रोड बीजू पटनायक पुतला नुवापाडा तह व जिला नुवापाडा उड़ीसा ग्राम चन्दखुरी प.ह.नं. 29 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1581/6 रकबा 0.011 हे. भूमि विक्रेता रुपेश कुमार सोनी पिता भरत कुमार सोनी एवं अन्य 1 से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 07.12.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14.12.2020 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

कोरोना काल में ओपीडी फीस में हुई वृद्धि, मरीज परेशान

■ ऊंची फीस लेने वाले डॉक्टर दूर से देखते हैं मरीज को

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। कोरोना वायरस कोविड 19 विश्वव्यापी महामारी के चलते जहां देश में अनेक खाद्यान्न पदार्थों सहित दवा बाजार में एकाएक मूल्यों में वृद्धि देखी जा रही है। वहीं रायपुर, बिलासपुर, भिलाई आदि क्षेत्र में स्थित निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा भी ओपीडी फीस में लगातार वृद्धि के साथ ही अनेक पैथोलाजिकल टेस्ट के चलते मरीजों को आमतौर पर 5 से 10 हजार के बीच एक बार में जेब खाली करनी पड़ रही है। वहीं निजी चिकित्सकों के फीस भी इन दिनों 500 रुपये से 1000 रुपये तक बढ़ गई है। क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना व्याधि के कारण अनेक चिकित्सक खाली चेहरा देखकर ही दूर से दवाईयां पर्ची में लिख रहे हैं।

वहीं पुरानी बस्ती क्षेत्र के निवासी एक मरीज ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें घुटने में तकलीफ के चलते चलते में परेशानी हो रही है। अनेक चिकित्सा संस्थानों में बिना शारीरिक परीक्षण किये दवाईयों पर दचाईयां लिखकर केवल उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। शहर में अब तक वे पांच से छह अस्थि रोग विशेषज्ञों को दिखा चुके हैं। बावजूद इसके उन्हें अभी तक रोग से मुक्ति नहीं मिली है। वहीं दिल के मरीजों का हाल भी काफी बुरा है।

स्क्रीनिंग कमेटी की गठन की मांग आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री से की

शहर में चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत चिकित्सकों की मासिक आय पर भी आयकर विभाग का ध्यान नहीं है। जागरूक नागरिक पंडित योगेशचंद्र मिश्रा ने इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निजी चिकित्सा संस्थानों में अत्याधिक व्यय पर मरीजों को चिकित्सा उपलब्ध कराने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पंडित मिश्रा के अनुसार अब तक आईएमए एसोसिएशन ने भी अपने सदस्यों पर किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की है। आमतौर पर चिकित्सा संस्थानों में रिसेप्शन एवं कैश काउंटर पर सिर्फ पैसा जमा करने के लिए ही मरीज के परिजनों पर दबाव बनाया जाता है। जो दवा नर्सिंग होम में प्रति गोली पांच रुपये ली जाती है वहीं दवा खुले बाजार में ढाई रुपये में बेची जाती है। एमआर विप्लव दत्ता के अनुसार ग्लूकोज की एक बॉटल की लागत केवल 9 रुपये है जबकि वसूली 70 रुपये से अधिक की मरीज की जाती है। इस तमाम वसूली कार्यक्रम में निजी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टोर संचालक की मिली भगत से प्रभावितों ने इंकार नहीं किया है।

1661 नए कोरोना पाजीटिव मरीज मिले

रायपुर। ठंड में इजाफा होते ही कोरोना वायरस द्वितीय चरण में अधिकतम आबादी को प्रभावित करने लगा है। ऐसी स्थिति में लापरवाही के चलते जहां कोरोना वायरस कोविड 19 का स्वरूप प्रथम चरण के बाद अधिक आक्रामक तरीके से मरीजों को प्रभावित कर रहा है वहीं लाक डाउन खत्म होने के बाद आम लोगों में अभी भी कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम एवं जिला प्रशासन तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा शासकीय अशासकीय क्षेत्रों द्वारा बार बार मास्क पहनने की अपील करने के बाद भी बाजार क्षेत्र में ज्यादातर लोग बिना मास्क पहने लोगों के लिए खतरे का सबब बने हुए है। दूसरे दौर में लापरवाही बरतने पर संक्रमण का स्वरूप भयावह हो सकता है। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बुधवार रात 8 बजे की स्थिति में प्रदेश से कुल 156 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की जानकारी दी गई है।

सरकार के दो साल पर साहित्यकारों की राय

सरकार ने सकारात्मक काम किया है : अग्रवाल

दुर्ग। अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार व लेखक महावीर अग्रवाल का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल ने अपनी सीमाओं में रहकर दो वर्ष के अंतराल में राज्य की जनता के हित के लिए सकारात्मक और अच्छा काम किया है। उन्होने कहा कि प्रदेश के 18 लाख किसानों के 9 हजार करोड़ रुपए के ऋण माफ करने के साथ 25 सौ रुपए के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करना एक एतिहासिक कदम है और बड़ी घटना है। देश में 70 साल के इतिहास में किसी भी राज्य ने अभी तक यह साहसिक कदम नही उठाया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि समर्थन मूल्य में खरीदी की राशि का भुगतान किश्तो के रुप में किए जाने का तकनीकी कारण हो सकता है लेकिन पैसा सरकार बराबर किसानों को दे रही है। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि शिक्षाकर्मियों का संविलयन सरकार का बेहतर फैसला है। मैं स्वयं शिक्षक रहा हूं इस लिहाज से शिक्षा कर्मियों की पीड़ा को समझता हूं। शिक्षाकर्मी मजदूरों की तरह काम करते रहे हैं इन्हे शिक्षा विभाग से जोडऩा स्वागत योग्य कदम है। श्री अग्रवाल ने कहा कि कौशल्या माता की धरती पर रामपथ गमन का निर्माण करना भी शानदार पहल है। श्री अग्रवाल ने कहा कि दो वर्ष के अंतराल में शराब बंदी की दिशा में ठोस पहल नही करना सरकार की चूक है। राज्य के जिन-जिन स्थानों में गरीबी है उसका मुख्य कारण शराब है। मजदूर वर्ग जितना कमाता है उसकी सारी राशि शराब में खर्च कर देता है। घरो में काम करने वाली मजदूर की पत्नियां अपना दर्द बयान करती है। सरकार को अब शराब बंदी की दिशा में कठोर कदम उठाने की जरुरत है। यह निर्णय राज्य की जनता के हित के मामले में मील का पत्थर साबित होगा।

कल्चर के नाम पर केवल एग्रीकल्चर न हो : साव

भिलाई। किसी भी राज्य या संगठन की पहचान केवल उसके आर्थिक विकास से आंकी जाती तो दुनिया के धनाढ्य देश और महानगर संस्कृति के बड़े केंद्र भी हो जाते पर ऐसा नहीं है। अमेरिका सबसे बड़ा पूंजीवादी देश रहा तो संस्कृति और विचार आंदोलनों का केंद्र समाजवादी देश रूस रहा। भारत में हरियाणा समृद्ध राज्यों में रहा तो संस्कृति के बड़े केंद्र गरीब राज्य बंगाल और केरल रहे। खेती.किसानी से समृद्ध राज्य हरियाणा के बारे में तो यह भी कह दिया जाता है कि कल्चर के नाम पर वहां बस एग्रीकल्चर ही रह गया है। हमारे सामने भिलाई इस्पात संयंत्र का एक उदाहरण है जो लौह उत्पादन में देश का सबसे अग्रणी स्थान है पर उसकी बड़ी पहचान यहाँ के संस्कृति कर्मियों तीजनबाई, देवदास से भी होती है। क्रिकेट खिलाडी राजेश चौहान से होती है। साहित्यकारों, नाटककारों से होती है।

इसलिए यह गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो न केवल लोकसंस्कृति से समृद्ध है बल्कि यहाँ साहित्यकारों, रंगकर्मियों और निस्वार्थ सेवी पत्रकारों का भी बड़ा जमघट है। यहाँ की सही प्रतिभाएं देश.विदेश में सम्मानित.पुरस्कृत हो रही हैं भले ही उनके अपने राज्य में उनकी पूछ परख नहीं हो पा रही है। किसी भी राज्य और उनके मंत्रियों की प्रतिष्ठा में श्रीवृद्धि तब होती है जब उनका प्रदेश अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने में सफल होता है, यशस्वी होता है। इन सबको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हमारा राज्य अपनी सांस्कृतिक नीति को सँवारने के लिए कितना प्रतिबद्ध है। बीस बरस हो गए इस राज्य को बने पर सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना के मामले में वही ढाक के तीन पात है। वर्तमान मुख्यमंत्री विचारवान हैं, उन्हें साहित्यकारों पत्रकारों का समर्थन भी है और इसलिए उनसे अधिकार पूर्वक उम्मीद भी है कि उनके विकास के

प्रधानमंत्री की जनहितकारी योजना गाँव-गाँव तक पहुँचे : डॉ. रमन

■ सच्चिदानन्द उपासने के नेतृत्व में हुआ ब्रोषर का विमोचन

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार-प्रसार अभियान के प्रदेश संयोजक सच्चिदानन्द उपासने के नेतृत्व में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के ब्रोषर का विमोचन

पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया। देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू की गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार का कार्य पूरे प्रदेश में सक्रिय रूप् से किया जा रहा है। इसी तारतम्य में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के करकमलों से प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री किसार सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के ब्रोषर का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रदेश संयोजक सच्चिदानन्द उपासने ने बताया कि इस संगठन का मुख्य उद्देष्य प्रत्येक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी हितग्राही को आसानी से मिल सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगो तक इसकी जानकारी का प्रचार-प्रसार हो।

अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर सहित चार लोग गिरफ्तार,दो कार से 49 किलों गांजा बरामद

रायपुर। राजधानी पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर दो अलग-अलग थानाक्षेत्रों में चार-पहिया वाहन से गांजा तस्करी कर ले जाने की सूचना पर नाकाबंदी कर दो कार के डिक्की के अंदर रखे 49 किलों गांजा जब्त की है।

मिली जानकारी के अनुसार आरंग पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर 16 दिसंबर को शाम 5.45 बजे ओडका रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी कर महाराष्ट्र की एक स्वीप्ट कार क्रमांक एमएच 03 को रोककर तलाशी लेने पर डिक्की के अंदर 28 किलों गांजा बरामद हुआ है। जिसकी अनुमानित कीमत डेढ लाख रुपयें आंकी गई है। कार चालक का नाम पुछने पर उसने अपना नाम प्रभात कुमार सिंह 25 वर्ष निवासी सोनपुर जिला छपरा बिहार बताया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह धमतरी से गांजा लेकर चित्रकुट उत्तरप्रदेश जा रहा था। इससे पहले भी वह गांजा का खेप लेकर जा चुका है। आरोपी के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट की धारा 20 बी के तहत कार्रवाही की गई है। इसी तरह आमानाका पुलिस ने बीती रात 12.30 बजे गांजा कार से गांजा तस्करी की सूचना पर मुरगन ट्रांसपोर्ट के सामने टाटीबंद के पास कार क्रमांक 06 जीई 6006 की डिक्की के अंदर रखे एक प्लास्टिक की बोरी में 21 किलों गांजा बरामद किया है। कार में सवार व्यक्तियों से पुछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम सूर्यकांत नाग 38 वर्ष पिता शम्भुलाल नाग एवं उमेश मनहिरा 24 वर्ष पिता डमन मनहिरा व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाही की गई है।

कलर्स बैरिस्टर बाबू में बोन्दिता के लिए एक नया चरण शुरू

रायपुर। कलर्स का हिट शो बैरिस्टर बाबू आज टेलीविजन पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फिक्शन शो में से एक है। अपने दिलचस्प किरदारों के साथ, एक जीवंत कहानी और कथानक-ट्विस्ट दर्शकों का मनोरंजन करने में कामयाब रहा। शो के वर्तमान ट्रैक में, हम बोन्दिता (औरा भटनागर द्वारा अभिनीत) को सौदामिनी के साथ एक नाखून काटने की प्रतियोगिता के बाद विजयी होते हुए देखते हैं।

छत्तीसगढ़ शासन का है ये प्रयास
स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पहुंचे सबके द्वार

- स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के महा मुकाबले में छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य
- स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की 14 अन्य श्रेणियों में भी राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार
- देश में पहली बार छत्तीसगढ़ के सभी शहर ओडीएफ डबल प्लस की श्रेणी में
- छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना 'वेस्ट टू वेल्थ' का अच्छा कमर्शियल मॉडल घोषित
- महिला स्व-सहायता समूहों की 10,000 स्वच्छता दीदी 'मिशन क्लीन सिटी' परियोजना से जुड़ीं
- स्वच्छता दीदियों की मानदेय बढ़ाकर 6000 रु
- सूखे कचरे की बिक्री से 15 करोड़ रुपए की आय स्व-सहायता समूहों के मध्य वितरित

2 साल बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

लगातार 2 वर्षो से स्वच्छता में देश में नंबर 1 होने का गौरव

संपादकीय

कृषि कानून को लेकर राजनीति

केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों का विभिन्न किसान संगठन विरोध कर रहे है लेकिन कई राजनीतिक पार्टियां किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई है। वे लगातार केन्द्र सरकार पर हमला कर रही है और किसानों को भड़काने का भी प्रयास कर रही है। यह अच्छी बात है कि किसान संगठन इन राजनीतिक दलों की मंशा समझ रहे है और अपने मंच पर इन राजनेताओं को जगह नहीं दे रहे है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों के नेता किसानों के आंदोलन की आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है। किसानों ने जब भारत बंद का आव्हान किया था तो कई राजनीतिक पार्टियों ने इस बंद का समर्थन करने के नाम पर खुल कर गुंडागर्दी की थी। अभी भी किसानों के आंदोलन को वे बिन मांगा समर्थन दे रहे है और खुद को किसानों का सबसे बड़ी हितैषी साबित करने में जुटे हुए है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें सबसे आगे है, जिन्होने किसानों के अनशन के दिन खुद भी एक दिन का उपवास किया था और अब उन्होने नई दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक संकल्प पत्र पेश किया है जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक महेन्द्र गोयल तथा सोमनाथ भारती ने सदन में कृषि कानून की कापी फाड़ कर अपना विरोध दर्ज कराया, उनका कहना है कि जो कानून किसानों के खिलाफ है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार और कितनी जाने लेगी, अब तक 20 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा वाले जगह जगह घूम कर एक ही बात कह रहे है कि किसान अब देश में कहीं भी फसल बेच सकता है। ये हवा हवाई बातें है और भाजपाई किसानों को भ्रमित कर रहे है ये वहीं अरविंद केजरीवाल है जिन्होने नए कृषि कानूनों को पहले तो मंजूर कर लिया था लेकिन इसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू होते ही उन्होने अब कृषि कानूनों का विरोध शुरू कर दिया है। इसी तरह और भी कई राजनीतिक पार्टियां है जिन्होने पहले तो इस कानून का समर्थन किया था लेकिन अब वे भी इसके विरोध में उतर आई है और खुद को किसानों का शुभचिंतक सिद्ध करने की होड़ में लग गई है। किसानों को इन राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आना चाहिए वैसे भी किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है उन्हे इनके झांसे में नहीं आना चाहिए।

विचार

लवजिहाद कानून का शीर्षासन

धोखेबाजी, ज़ोर-जबर्दस्ती, लालच या भय के द्वारा धर्म-परिवर्तन करने को मैं पाप-कर्म मानता हूं लेकिन लव-जिहाद के कानून के बारे में जो शंका मैंने शुरु में ही व्यक्त की थी, वह अब सही निकली। संस्कृत में इसे कहते हैं- प्रथमग्रासे मक्षिकापातः। याने पहले कौर में ही मक्खी पड़ गई। मुरादाबाद के कांठ नामक गांव के एक मुस्लिम लड़के मोहम्मद राशिद से पिंकी नामक एक हिंदू दलित लड़की ने 22 जुलाई को शादी कर ली थी। दोनों देहरादून में काम करते थे। दोनों में 'लव' हो गया था। पिंकी मुस्कानजहान बन गई। अब इन दोनों के खिलाफ बजरंग दल के कुछ अतिउत्साही नौजवानों ने 'जिहाद' छेड़ दिया। पिंकी की मां को भड़काया गया। उसने थाने में रपट लिखवा दी कि मेरी बेटी को धोखा देकर शादी की गई है। एक मुसलमान ने हिंदू नाम रखकर उसे प्रेमजाल में फंसाया, मुसलमान होने के लिए मजबूर किया और फिर शादी कर ली। पुलिस ने राशिद और पिंकी दोनों को पकड़ लिया। राशिद और उसके भाई को जेल में डाल दिया गया और पिंकी को सरकारी शेल्टर होम में। यह लव-जिहाद कानून 2020 के तहत किया गया। यह कानून लागू हुआ 28 नवंबर 2020 से और यह शादी हुई थी, 24 जुलाई को। याने यह गिरफ्तारी गैर-कानूनी थी। इसके लिए किस-किस को सजा मिलनी चाहिए और किस-किस को उन पति-पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, यह आप स्वयं तय करें। पिंकी का पति और जेठ अभी भी जेल में हैं। पिंकी ने अपने बयान में साफ-साफ कहा है कि राशिद मुसलमान है, यह उसे शादी के पहले से पता था। उसने स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया, शादी की और गर्भवती हुई। उस मुस्कानजहान का गर्भ, जो दो-तीन महिने का था, इस पकड़ा-धकड़ी और चिंता में गिर गया। यह मानना जरा कठिन है कि सरकारी अस्पताल के डाक्टरों ने उसे जान-बूझकर गिराया होगा। हमारे डाक्टर ऐसी नीचता नहीं कर सकते लेकिन क्या इसका जवाब ''हमारे लवजिहादियों'' के पास है ? यदि जोर-जबर्दस्ती, लालच या डर के मारे पिंकी ने मुस्कानजहान बनना मंजूर किया होता तो शेल्टर होम से छूटने के बाद वह अपने हिंदू मायके में क्यों नहीं गई ? कांठ के मुस्लिम सुसराल में वह स्वेच्छा से क्यों चली गई ? इस घटना-चक्र ने लव-जिहाद के कानून के मुंह पर कालिख पोत दी है। उसे शीर्षासन करा दिया है।

टेक ज्ञान-

वाट्सएप वेब में जल्द आएगा विडियो और वॉइस कॉल फीचर

नई दिल्ली। वाट्सएप यूजर्स अब जल्द ही वेब वर्जन से भी वॉइस और विडियो कॉल कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉट्सऐप वेब पर जल्द विडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर का मजा मिलेगा। इस फीचर को एक बार फिर वॉट्सऐप वेब के बीटा वर्जन में देखा गया है।

हिंदुस्तानी रंगों से महकेगा हुनर हाट

श्याम सुंदर भाटिया

> भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले, प्रदर्शिनियों का आयोजन होता रहता है। भारत को जानने और भारत को अनुभव के लिए जब भी मौका मिले, जरुर जाना चाहिए। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' को जी-भर जीने का यह अवसर बन जाता है। आप वहां जाकर ना सिर्फदेश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आप देश के मेहनती कारीगरों की, विशेषकर, महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे। श्री नकवी ने बताया, कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन में मिले समय का सदुपयोग कर दस्तकारों और कारीगरों ने बड़ी तादाद में हस्तनिर्मित दुर्लभ स्वदेशी सामग्री तैयार की है, जिसे ये दस्तकार हुनर हाट में लाएंगे। उन्होंने यह भी बताया, विभिन्न निर्यात कौंसिल्स दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मार्किट मुहैया कराने हेतु गहन रुचि दिखा रही हैं, जिससे इन दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मार्किट मिल सकेगा। उन्होंने आगे कहा, हुनर हाट में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ़सफ़ाई, सेनिटाइज़ेशन, मास्क आदि की विशेष व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही जान भी जहान भी पवेलियन होगा, जहां लोगों को पैनिक नहीं, प्रीकॉशन की थीम पर जागरुकता पैदा करने वाली जानकारी भी दी जाएगी।

पांच लाख से ज्यादा भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार के मौके देने वाले हुनर हाट के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान का जादू लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है। यह बात दीगर है, कोरोना की काली छाया के चलते छह महीने हुनर हाट पर भी ग्रहण लगा रहा। रफ्ता-रफ्ता अब केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से आयोजित यह हुनर हाट फिर से देशभर में स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादों के रंग बिखेरने लगे हैं। बकौल केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी- देश का हर क्षेत्र लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपड़े, कागज़, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले हुनर के उस्तादों से भरपूर है। इनके इस शानदार स्वदेशी उत्पादन को मौका-मार्किट मुहैया कराने के लिए हुनर हाट बड़ा प्लेटफार्म है। श्री नकवी मानते हैं, हुनर हाट अब स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का प्रामाणिक ब्रांड बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस हुनर हाट के कायल हैं। दिल्ली में इंडिया गेट के पास आयोजित हुनर हाट में प्रधानमंत्री औचक पहुंच कर सभी को अचम्भित कर दिया था। करीब 50 मिनट हुनर हाट में रुके प्रधानमंत्री न केवल इन हुनरमंदों से मिले बल्कि लिट्टी-चोखा का स्वाद चखा बल्कि कुल्हड़ की चाय की चुस्की भी ली। हुनर हाट के मेजबान श्री नकवी ने खुद ही प्रधानमंत्री को कुल्हड़ में चाय पेश करके भारतीय संस्कृति का बेमिसाल उदाहरण पेश किया। कहते हैं ना, अतिथि देवो भवः। प्रधानमंत्री ने हौसला अफ्जाई के लिए बाक़ायदा लिट्टी-चोखा के 120 और दो कुल्हड़ चाय के लिए 40 रुपए का भुगतान भी किया। फरवरी में आयोजित इस हुनर हाट की थीम- कौशल को काम थी। इस दफा हुनर हाट श्री नकवी की सियासी कर्मभूमि रामपुर में लग रहा है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हुनर हाट में 27 सूबों से हुनर के उस्ताद शिरकत कर रहे हैं। इस 10 दिनी हुनर हाट का शंखनाद 18 दिसंबर यानी शुक्रवार को होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे। 24वां हुनर हाट लखनऊ के शिल्पग्राम में 23 जनवरी से लगेगा। हुनर हाट के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के संग-संग मास्क सभी के लिए अनिवार्य होगा। यदि भूल-चूक से कोई मास्क लगाकर नहीं आया तो उसे हाट की तरफ से फ्री मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। हुनर हाट में जगह-जगह सेनिटाइज़ेशन का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से उस्ताद योजना के तहत होता है। उस्ताद योजना का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय की परंपरागत कला और शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना है।

हुनर हाट लोकल के लिए वोकल के संकल्प के साथ देश के दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत मिशन को बेहद मजबूती दे रहा है। श्री नकवी मानते हैं, दस्तकारों का शानदार स्वदेशी उत्पाद ही हुनर हाट की लोकल शान और ग्लोबल पहचान है। देश के हर क्षेत्र में देशी उत्पादन की बहुत पुरानी और पुश्तैनी परंपरा रही है, वह लुप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के आह्वान ने भारत के स्वदेशी उद्योग में नई जान फूंक दी है। सच्चाई यह है, हुनर हाट प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। लकड़ी, ब्रास, बांस, शीशे, कपडे, कागज़, मिट्टी के मनमोहक उत्पाद बनाने वाले हुनर के उस्तादों के लिए हुनर हाट वरदान बन गया है। ये हुनर के हाट न केवल दुर्लभ हस्तनिर्मित सामान लोकप्रिय हुए हैं, बल्कि विभिन्न राज्यों के पारंपरिक और लजीज व्यंजनों का लोग लुत्फ़ लेते हैं। इसके संग-संग पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोकगीत, कव्वाली और कल्चर प्रोग्राम भी आकर्षण के मुख्य केंद्र होते हैं। हुनर हाट में प्रदर्शित सामान को ऑनलाइन खरीदने की भी सुविधा दी जा रही है। यह हुनर हाट ई-प्लेटफॉर्म और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी है। http.//hunarhaat.org पर भी कारीगरों के उत्पाद प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अब तक 22 में से सर्वाधिक 9 हुनर हाट दिल्ली, मुंबई में 3 के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, रांची, हैदराबाद, पुडुचेरी में एक-एक हुनर हाट लग चुके हैं। रामपुर के बाद लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रांची, कोटा, सूरत, कोच्चि में भी हुनर हाट लगाने की योजना है। प्रधानमंत्री के अलावा उपराष्ट्रपति श्री वैंकया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह, रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, सुचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावेड़कर, कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, यूपी के सीएम श्री योगी आदित्य नाथ, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम श्री देवेन्द्र फडणवीस, पुडुचेरी की उपराज्यपाल श्रीमती किरण बेदी, मुख्यमंत्री श्री नारायण स्वामी सरीखी हस्तियां इन हुनर प्रदर्शनियों में समय-समय पर अपनी गरिमाई उपस्तिथि दर्ज करा चुकी हैं। मन की बात कार्यक्रम में तो प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हुनर हाट के स्वदेशी उत्पादनों और दस्तकारों के काम की सराहना करते हुए कहा था, मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी-सी जगह में देश की विशालता, संस्कृति, परम्पराओं, खानपान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए। समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी थी। इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियाँ भी बहुत ही प्रेरणादायक होती हैं। पीएम श्री मोदी ने कहा था, हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही, साथ-ही-साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। एक जगह है, जहां इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव-सा है। शिल्पकला तो है ही, साथ-साथ हिंदुस्तानी खान-पान की विविधता भी है। वहां एक ही लाइन में इडली-डोसा, छोले-भटूरे, दाल-बाटी, खमन-खांडवी, ना जाने क्या-क्या था। मैंने, खुद भी वहां बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी-चोखे का आनन्द लिया, भरपूर आनंद लिया।

आतंकवाद के खिलाफ चैतरफा दबाव बनाना होगा

तारकेश्वर मिश्र

> बीते नवंबर में भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहाकि, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने वैश्विक मंचों पर अक्सर लताड़ खाता रहता है। इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद पर शिकंजा कसने के बजाय आतंकपरस्त सोच का ठीकरा भारत पर फोड़ रहा है। इस पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी हमलों के पीछे भारत का हाथ होने के पड़ोसी देश के आरोप मनगढ़ंत हैं। पड़ोसी देश भारत के खिलाफदुष्प्रचार कर रहा है। जबकि हकीकत से दुनिया वाकिफहै। यह तथ्य किसी से नहीं छिपा है कि चीन ने अपने संकीर्ण भू-राजनीतिक स्वार्थों के लिये न केवल पाकिस्तान का समर्थन किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र में पाक पोषित आतंकियों का बचाव भी किया है।

पिछले दिनों संसद पर हुए हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने एक बार? फिर इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र से पहल करने का आग्रह किया।?अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता की जरूरत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकांश देश भारत के दृष्टिकोण से सहमत नजर आते हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो संकीर्ण भू-राजनीतिक समीकरणों के चलते भारत के प्रस्ताव की अनदेखी करते हैं। हालांकि वे खुद भी आतंक से किसी न किसी प्रकार जूझ रहे हैं। यद्यपि उपराष्ट्रपति ने किसी देश विशेष का अलग से उल्लेख नहीं किया। लेकिन जाहिरा तौर पर उनका इशारा चीन, पाकिस्तान तथा तुर्की की ओर था जो कि निहित स्वार्थों के चलते आतंकवाद का पोषण करने वाले देशों का बचाव कर रहे हैं। जिनकी हकीकत दुनिया के सामने लाना वक्त की जरूरत समझी जानी चाहिए। दरअसल, आज विश्वव्यापी आतंकवाद की समस्या पर उपराष्ट्रपति वैंकया नायडू का बयान विदेश मंत्री एस. जयशंकर की इस टिप्पणी के साथ आया है कि सीमा पार से राज्य पोषित आतंकवाद भारत के लिये बारहमासी समस्या है।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है, जिसके लिये देश ने बड़ी कीमत चुकाई है।?पिछले दशकों में संसद पर हमला, मुंबई पर सुनियोजित आतंकी घात, पठानकोट व उरी में विदेशी आतंकियों के कायराना हमले और देश को उद्वेलित करने वाले पुलवामा कांड को भुलाया नहीं जा सकता। ?इन हमलों के तार जिस देश से जुड़े, उसके खिलाफ पक्के सबूतों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि मुंबई में पाक प्रायोजित बम धमाकों की शृंखला ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, तब उसके तीन साल बाद 1996 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक रूप से परिभाषित आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते यानी सीसीआईटी पर एक मसौदा दस्तावेज प्रस्तुत किया था। लेकिन विडंबना कि भारत की आवाज को अनसुना किया गया और कुछ देशों की वजह से अभी तक इस प्रस्ताव पर

कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसकी वजह यह भी रही कि सदस्य देश आतंकवाद की परिभाषा और स्वरूप को लेकर एकमत नहीं हो पाये।

हमारे देश की धरती पर बार-बार हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान की गहरी भूमिका गाहे-बगाहे उजागर हुई है। इस दिशा में विश्व जनमत को सचेत करने के प्रयासों में कुछ सफलता भी मिली है। अमेरिका ने भारत पर हुए आतंकी हमलों में वांछित पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में डाला है। उन पर बड़े इनाम भी घोषित किये हैं। भारत के प्रयासों का ही फल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक पर दबाव बनने लगा है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के लिये राज्यस्तरीय मदद पर नजर रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी एफएटीएफ ने लंबे समय से पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाला हुआ है, जिससे उसकी दागदार छवि दुनिया में उजागर हुई है। बीते अगस्त में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में पाकिस्तानी मिशन द्वारा बोले गए झूठों के लिए भारत ने उसे जमकर लताड़ लगाई। भारतीय मिशन ने एक कड़ा बयान जारी कर कहा, पाकिस्तान ने झूठा बयान जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उनके प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) को संबोधित किया जबकि उसके सत्र में गैर-सदस्यों को हिस्सा लेने की इजाजत ही नहीं थी। भारतीय मिशन ने कहा कि सीमापार आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब खुद आतंकवाद पीड़ित होने का स्वांग रचने की कोशिश कर रहा है। यूएनएसी में पाकिस्तान ने बयान में दावा किया कि वह दशकों से सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद से पीडित है। इस दावे को खारिज करते हुए भारतीय मिशन ने कहा, 'झूठ को सौ बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता। भारत के खिलाफ सीमा पार से आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब खुद को भारत प्रायोजित आतंकवाद का पीडित होने का स्वांग रच रहा है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकियों की सबसे बड़ी पनाहगाह है। इनमें से कई पाकिस्तान में बेखौफ अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। 2019 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में माना था कि उनके देश में 40 से 50 हजार आतंकी मौजूद हैं।' भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उसने क्षेत्र में अलकायदा को खत्म कर दिया है। भारतीय मिशन ने कहा, 'शायद, पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि को पता नहीं है कि ओसामा बिन लादेन उनके ही देश में छिपा था और अमेरिकी सेना को वह पाकिस्तान में ही मिला था। क्या उन्होंने यह भी नहीं सुना कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लादेन को शहीद कहते हैं।' भारतीय मिशन ने 1267 प्रतिबंधों की लिस्ट में भारतीयों के शामिल होने के पाकिस्तानी दावे को भी खारिज किया।

पाठकों की बात — पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

दुख घिरता है ऐसे

दुख घिरता है ऐसे जैसे वही अब देह हो जिसमें रहना और मरना हैजैसे होने का वही असली रंग हैजो अब जाकर उभरा है !विषाद के लंबे-पथरीले गलियारे में डगमगाकर उम्र चलती है जब उम्र रूकती है। आगे चलते हुए हिम्मत बांधती शायद अब, उम्र का यही ठिकाना है !और जिस झरोखे से , हाथ आगे जाने की दिशा बताती है शायद अब , यही दुःख का ठिकाना है।

- पुष्पा त्रिपाठी

प्रशंसा हृदय से

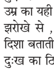

प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप बुद्धिमत्ता से, और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है अन्यथा मौन ही उत्तम है! महान मानस के लोग विचारों पर बात करते हैं, साधारण मानस के लोग घटनाक्रम की बात करते हैं, और निम्न स्तर के लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं!

- कुलदीप शर्मा

खास पाती | नीचे कम्बल, ऊपर कम्बल

नीचे कम्बल, ऊपर कम्बल, हीटर चालू फिर सोता है मगर ठिठुरती सर्दी में, ऐसा भी इक मंजर होता है सड़क किनारे ओढ़े चादर कोई बैठे ही सोता है ठिठुरन बढ़ जाती है तो अपनी किस्मत पर ही रोता है कोई कहे कर्मों के कारण प्राणी को साधन मिलता है कर्म सभी के होते न्यारे, इसी बात का दुःख होता है दुनियाँ इक कुटुम्ब की मानिंद,भेदभाव फिर भी होता है देनेवाला भी तो दाता, आँख मूंदकर क्यूँ सोता है बनें सहायक इक-दूजे के, रक्खें सब जीवों का ख्याल जीवन तो जीना है सबको,दुख और सुख सबको होता है।

- जे डी कुदाल

ज़माने के साथ बहुत कुछ बदलता

ज़माने के साथ बहुत कुछ बदलता रहता है... एक वो दौर था जब किसी को इश्क़ हो जाता था तो सारे दोस्त साथ दिया करते थे, प्यार में झगड़ा हो जाए तो दोस्त लोग सुलझाने में मदद करते थे। आजकल देखती हूँ कि दो लोगों में थोड़ी भी दरार हो तो दोस्त लोग उस लड़ाई को बढ़ा देते हैं, हमदर्द बन कर उकसाते रहते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़.. बात रिश्ता टूटने तक पहुँच जाती है। मूल मंत्र - जो सुख हमें न मिला, किसी और को क्यों मिले।

- ममता लड़ीवाल

जिसने सारे ही सुख,त्याग दिये

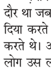

जिसने सारे ही सुख,त्याग दिये। अपनी गृहस्थी से,बैराग लिये।। जो जाग रहा है,नित भाग रहा। दिल में,देश प्रेम की आग लिये।। फिर भी गाली,ये सबकी खाये। जुबां पर,देशभक्ति का राग लिये।। छोड़ो उनकी,यार चापलूसी। बैठे जो,दामन पर दाग लिये।। अपूर्ण को,पूर्ण होते देखना। मतलब जन्मे हो,बड़ा भाग्य लिये।।

- राजकुमार शर्मा

ज़मीं पे बिखरी खुशबुओं में

ज़मीं पे बिखरी खुशबुओं में अगर श्रम न रहे तो आसमां मिलेगा तुझको कभी, भ्रम न रहे.. मस्लहते-वक्त है ,बहा दे पसीना और खूं शर्म करनी पड़े ऐसा कभी आलम न रहे... धर्म की लत ये जो क़स्दन तुझे लगाई गई उबर सकता नहीं,चाहे जो फिर आदम न रहे... वक़्अत है कर्म की, इज़्ज़त है, हक़ीक़त है यही अगर चाहे तू सरज़मीं पे कहीं ग़म न रहे... क़द्र इंसानियत की कर,अगरचे है इंसां जहाँ फ़ानी है, जाने किस गली में दम न रहे।

- कविता माथुर

शख्सियत जितनी अच्छी होगी

शख्सियत जितनी अच्छी होगी, दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है? क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते है, जो फलों से लदा होता हैं। इसीलिए अपनी शख्सियत को उच्च कोटि की बनाने पर ध्यान दें।

- सुमन शर्मा

किसी की मजबूरियों पर मत

किसी की मजबूरियों पर मत हँसिये, कोई मजबूरियाँ ख़रीद कर नही लाता, डरिए समय की मार से क्योकि बुरा समय किसी को बताकर नही आता। **- श्रीकांत गुप्ता**

मेरे दिल की सुनों समझों दिले

मेरे दिल की सुनों समझों दिले हमराज बन जाओ मेरे दर्दे ज़िगर के तुम फ़क़त दिलसाज बन जाओ लिखी जाए मुहब्बत जब मेरे हल्के में आ करके शुरू तुम से कहानी हो मेरे आवाज बन जाओ।।

- अनुराधा सिंह

QUIZ TIME

1) छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर लगभग 500 महापाषाणीय शासक स्थित है?

2) छत्तीसगढ़ के प्रसिद्व स्वाधीनता सेनानी रामप्रसाद देशमुख किस जिले के पिन कापार नामक ग्राम में सन् 1878 में जन्म लिये थे?

3) बस्तर के फोतकेल, भोपालपटनम, भेज्जी जमींदारी में सन् 1859 में हुअर 'कोई विद्रोह' संबंधित था-

4) छत्तीसगढ़ में मराठा शासन किस पद्वति से संचालित होता था?

5) पंडित सुन्दरलाल शर्मा ने अंग्रेजों द्वारा जेलबंदियों के अत्याचार पर आधारित कौन-सा समाचार प्रकाशित किया था?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) दुर्ग जिले के धनोरा स्थल (2) दुर्ग (3) जनजाति क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के विरोध में (4) सूबा पद्धति (5) श्री कृष्ण जन्म स्थान

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1271 - मंगोल सम्राट कुबलई खान ने अपने साम्राज्य का नाम युआन रखा। इसके साथ ही युआन वंश की शुरुआत हुई। 1777 - अमेरिका में पहली बार नेशनल थैंक्स गिविंग डे मनाया गया। 1799 - अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन के पार्थिव शरीर को माउंट वर्नान में दफनाया गया। 1839 - अमेरिका के जॉन ड्रेपर ने पहली बार किसी आकाशीय पिंड (चंद्रमा) की तस्वीर उतारी। 1849 - विलियम बांड ने टेलीस्कोप के जरिये चांद की पहली फोटोग्राफ ली। 1865 - अमेरिका में पहला मवेशी आयात कानून पारित हुआ। 1878 - तत्कालीन सोवियत संघ को महाशक्ति में बदलने वाले नेता जोसेफ स्टालिन का जन्म। 1897 - भोजपुरी कलाकार, संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता भिखारी ठाकुर का जन्म। 1899 - फील्ड मार्शल लार्ड राबर्ट्स दक्षिण अफ्रीका में पहले ब्रिटिश सुप्रीम कमांडर नियुक्त किये गये। 1902 - इटली के प्रसिद्ध अविष्कारक मार्कोनी ने पहला रेडियो स्टेशन बनाया। 1914 - ब्रिटेन ने औपचारिक रुप से मिस्र को अपना उपनिवेश घोषित किया। 1917 - सोवियत रेजीमेंट ने फिनलैंड की स्वतंत्रता की घो?षणा की। 1935 - एडवर्ड बेंस चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। 1938 - जर्मनी के वैज्ञानिक और रसायनशास्त्री ऑटोहैन द्वारा नाभकीय उर्जा के विश्लेषण से परमाणु युग का आरंभ हुआ। 1941 - द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापानी सेना हांगकांग पहुंची और आम नागरियों का कत्ल करना शुरू कर दिया। 1945 - दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना।

वन धन विकास योजना के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

गंडई पंडरिया। मुख्य वनोपज संघ मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार वन धन विकास योजना सप्लाई चैन मैनेजमेंट विषय पर 16 एवं 17 दिसंबर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन वन मंडल गंडई के कार्यालय भवन पर दिया गया। जानकारी के अनुसार जिले में यह प्रशिक्षण तीन वन मंडल में ही दिया जा रहा है जिसमे गंडई खैरागढ़ और डोंगरगढ़ वन मंडल शामिल है।प्रशिक्षण का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे निर्धारित है प्रशिक्षण पूर्णतः प्रोजेक्टर के माध्यम से मुख्य वनोपज संघ मुख्यालय से प्रसारण है।प्रशिक्षणार्थियो में साल्हेवारा गंडई के वन मंडल के अंतर्गत महिला समूह के अध्यक्ष सचिव सदस्य समूह प्रबंधक वन समिति के अलावा अधिकारी और कर्मचारी शामिल है।

सरकार का दो वर्ष उपलब्धियों से भरा रहा

गंडई पंडरिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस शासन के दो वर्ष पूरा हो गया है। जिसको धयान में रखते हुए कल गुरुवार को स्थानिय रेस्टहाउस में एक बैठक का आयोजन कर पशुपालको का सम्मान किया गया। और गंडई युवराज लाल टारकेश्वर शाह खुशरो ने कहा कि भूपेश सरकार के दो वर्ष सफलतापूर्वक रहा उन्होंने चुनाव के समय 32 घोषणा पत्र दिए थे जिसमें से लगभग 24 घोषणाएं में अमल भी हुआ है आज गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक अपने मवेशी के गोबर को मणिकांचन केंद्र में बेचकर लाभ अर्जित कर रहे है दो ऐसे पशुपालको का सम्मान किया गया जिन्होंने गोबर बेचकर दो पहिया वाहन क्रय किया है।आज के कार्यक्रम के दौरान पशुपालको में नंदलाल यादव विजय यादव संजय राजपूत तोरण यादव रवि यादव हेमलाल यादव लेखु साहू दिनेश यादव विजय यादव गंगाराम सहित लगभग एक दर्जन से अधिक पशुपालको का तिलक लगाया और श्रीफल भेटकर मुँह मीठा कराकर सम्मान किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से लाल टारकेश्वर शाह खुशरो,साकेत दुबे,सतीश सिंघानिया, बाके वर्मा, क्रांति ताम्रकर, सूरज नामदेव, दामोदर जयसवाल, जितू ठाकुर, रिंकू पुरषोत्तम, चेतन देवांगन सहित अन्य लोग मौजूद रहे थे।

जन सम्मान समारोह में संसदीय सचिव ने किसानों को शाल व श्रीफल देकर किया सम्मान

लवन। छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर आज छ. ग. प्रदेश कांग्रेस एव जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लाक कांग्रेस कमेंटी लवन के तत्वाधान में गुरुवार को सास्कृतिक भवन लवन मे जन सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया।सुश्री संकुतला साहु विधायक एव ससंदीय सचिव ने जन सम्मान समारोह मे छ. ग. सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओ से लाभवन्ति हुवे किसान व आमजन का सम्मानित जनों द्वारा शाल व श्रीफल भेट कर उनका सम्मान किया गया और सरकार के योजनाओ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। जन सम्मान समारोह मे खिलेन्द वर्मा, देवी लाल बार्वे, प्रताप डहरिया, युवती वर्मा, केदारनाथ डेहरिया वीरेंद्र बहादुर कुर्रे, सुनील साहू, अमर मिश्रा, गुरुदयाल यादव कांति मनहरे, राजेश साहू, बनवारी बार्वे, सतीष पांडेय दयाशंकर हिस्सा राम, दानीराम साहू रुपचंद मनहरे, पंकज साहू, नंदू वर्मा, केशव रात्रे, विक्की साहू, पुणेद्र जायसवाल, दीपमाला, राजकुमारी, नारायण माझी, ओमप्रकाश, धर्मेंद्र खूंटे, अजय बार्वे, संतोष साहू शयमु विशवकर्मा, पलटू राम, कन्हैया बंदे, कली मुल्ला अंसारी, पंकज अनंत सहित कांग्रेस पार्टी के समस्त प्रकोष्ठ के पदाधिकारी गण कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जन-जन की खुशी मे छुपी है प्रदेश सरकार की खुशी

नवप्रदेश संवाददाता

बेमेतरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे प्रदेश सरकार ने दो साल के भीतर जन-जन की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने की चुनौतियों का बखूबी सामना करते हुए प्रदेश की जनता का दिल जीता है, और जनता को स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन देने की पहल की है। प्रदेश सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ जनभागीदारी युक्त समृद्ध गांव के सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित है। इन दो वर्षो मे लोकसभा चुनाव, नगर पलिका एवं पंचायत चुनाव के बाद मार्च 2020 से कोरोना कोविड-19 का संक्रमण से गुजरने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं। बात हे अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार थीम पर कार्य कर रही है ।

मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व मे दो साल के भीतर कई अभिनव योजनाओं पर अमल हुआ। समाज के हर वर्ग की तरक्की और खुशहाली के लिए कार्य किये गये। सरकार की विकास परख एवं कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं-जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत् क्रियाशील है। राज्य सरकार ने सिंचाई सड़कें, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए जहां ठोस पहल की है वहीं राज्य के कल्याणकारी स्वरुप को और अधिक व्यापक स्वरुप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ का गौरवशाली अतीत, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक खनिज संसाधन और प्रतिभा संपन्न मानव कार्य कुशलता से लबरेज यह प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश बन गया है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि छत्तीसगढ़ मे किसानों को आगे बढ़ाकर मजबूत व आर्थिक रुप से सक्षम बनाकर ही राज्य को खुशहाल बनाया जा सकता है। गांव की खुशहाली मे ही देश की खुशहाली समाहित है। दो वर्ष पहले 17 दिसम्बर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही किसानों से 25 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के अपने वायदे को पूरा किया। वर्षो से लंबित 17 लाख 82 हजार किसानों का 8 हजार 755 करोड़ रुपय का कृषि ऋण और 244 करोड़ रुपये का सिंचाई कर माफ किया। बस्तर मे एक निजी उद्योग लगाने के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया गया था। बस्तर जिले मे किसानों की 1764 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस होने से आदिवासी बहुल अंचल के किसान अब इसका उपयोग करने लगे हैं।

गोधन न्याय योजना ने देश का ध्यान आकर्षित किया है, और देश भर मे प्रशंसा बटोरी है। यह योजना गोबर संग्राहको के लिए खुशियां लेकर आई है। जिस गोबर को पहले यूँ ही कचरे के ढेर मे फेंक दिया जाता था, उसे अब दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर बेचकर लाभ कमाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जल संवर्धन, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन देने के लिए हमारी सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी के संरक्षण एवं संवर्धन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तेंदु पत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 25 सौ रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपए मानक बोरा कर दिया गया है। राम वन गमन परिपथ र्प्यटन सर्किट के तहत 75 स्थानों का चयन प्रथम चरण मे 9 स्थानों मे- सीतामढ़ी-हरचैका, रामगढ़, शिवरीनारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर एवं रामाराम के विकास और सौंदर्यीकरण कि लिए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की कार्ययोजना पर काम शुरु। राज्य के प्रत्येक विकासखण्डों मे फूडपार्क की स्थापना की जा रही है। 1 मार्च 2019 से उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल की सुविधा, योजना शुरु हाने से अब तक 38 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को 1336 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों की सरकार तक चैबीसों घण्टे सातो दिन पहुंच। 126 से अधिक नागरीक सेवाएं निर्धारित समय सीमा मे तय।

कोरोना संक्रमण काल मे लॉकडाउन के दौरान भी प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा बने। उन्हाने इस संकटकाल मे राशन कार्डधारियों सहित प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कराई। देश के विभिन्न भागों से लौटे करीब 7 लाख श्रमिको के लिए 21 हजार क्वारेंटाइन सेन्टर बनाये गये। इन सेन्टरों मे निःशुल्क आवास भोजन और स्वास्थ्य जांच के साथ सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गई।

कॉग्रेस के दो साल पूरे, रेस्ट हाऊस में मनाया उत्सव

डौंडी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री व मंत्रियों के सफलतम दो वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस डोंडी के तत्वाधान में जन सम्मान कर उत्सव मनाया व मिठाइयां वितरण किया , स्थानीय रेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी के छाया चित्र में पूजा अर्चना कर किया गया ,मंत्री प्रतिनधि पीयूष सोनी ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के गौरवशाली दो साल पूर्ण होने पर बधाई देते हुए जनकल्याण कारी योजनाओं की जानकारी दी जिसमे किसानों का कर्जा माफ,2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी ,नरवा ,गरवा ,घुरवा ,बाडी योजना ,गौठान ,गोबर खरीदी जैसे अनेक योजनाओं से छत्तीसगढ़ वासियो को लाभ पहुंचाया है ,कार्यक्रम में कोमेश कोर्राम कार्यवाहक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ,भोजराम साहू ,चम्पालाल सागर ने भी सम्बोधित कर छत्तीसगढ़ शासन के योजनाओं से किसान ,मजदूर वर्ग , महिलाओं को होने वाले लाभ की जानकारी दी , आभार प्रदर्शन अनिल सुथार पूर्व जनपद सदस्य ने किया जन सम्मान के तहत उदेराम सिवना ,प्यारसिंह उइके ,सरजुराम दर्रो ,सोहनलाल सलामें , गज्जू सोनी ,लखनलाल ,पालम यादव ,श्रीमती टेमिन निषाद , केजुराम बोरकर का शाल व श्रीफल से पीयूष सोनी मंत्री प्रतिनिधि ,श्रीमती बसंती दुग्गा जनपद अध्यक्ष ,कोमेश कोर्राम कार्यवाहक अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डोंडी ,जनपद सदस्यों ने सम्मान किया।

इस अवसर पर श्रीमती बसंती दुग्गा अध्यक्ष जनपद पंचायत डोंडी ,श्रीमती पुष्पा कोमरे जनपद सदस्य ,यश राणा जनपद सदस्य ,टीकम नेताम जनपद सदस्य , श्रीमती ममता जैन पार्षद ,कोमलेन्द्र चंद्राकर ,अश्वनी जायसवाल ,,शब्बीर खान , ,धर्मेंद्र मेश्राम ,ढालसिंह कृपाल ,बेलसिंह रावटे ,सोएब खान ,सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे

पटवारी संघ के मांगों को बताया जायज भाजपाईयों ने दिया अपना समर्थन

धरनास्थल से कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा

जिला पंचायत सभापति ने भी दिया अपना समर्थन

गरियाबंद। राजस्व पटवारी संघ अपने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताली पटवारियों को राजस्व सचिव ने काम में नहीं लौटने पर दंड़ात्मक् कार्यवाही करने के आदेश जारी किए हैं। इससे नाराज पटवारियों ने विरोध जताते हुए प्रतियां जलाई है। मालूम हो कि पटवारियों के हड़ताल को चार दिन हो गए हैं, जिससे विभागीय कामकाज प्रभावित हो रही है। भाजपा सहित जिला पंचायत सभापति व सदस्यों ने राजस्व पटवारी संघ के मांगों को जायज माना है और उन्हें अपना समर्थन देते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मांगों को पूरा करने की मांग की है।

हड़ताली पटवारी संघ के समर्थन में भाजपा के प्रदेश संयोजक राजेश अवस्थी, प्रदेश सहसंयोजक आशीष शर्मा, राधेश्याम सोनवानी, परस देवांगन, अनूप भोंसले एवं दीनू सिन्हा पहुंचे थे। इस दौरान भाजपाईयों ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह झूठ बोलकर सत्ता में आई है। गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी की कसमें खाई थी। आज राजस्व पटवारी तकलीफमें है, इनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। कहा कि डिजिटलीकरण के समय में कार्य के सफलतापूर्वक संचालन के लिए पटवारियों को किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैय्या नहीं कराई गई है। कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में बड़े-बड़े वायदे किए थे, वह अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। धरनास्थल से भाजपाईयों ने राज्य सरकार से निवेदन करते हुए मांग की है कि पटवारियों की मांगों को पूरा करें। इसके अलावा जिला पंचायत सभापति फिरतुराम कंवर, मधुबाला रात्रे सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने भी पटवारियों की मांगों को जायज मानते हुए समर्थन दिया है।

इस समर्थन के लिए जिले के समस्त पट्वारी की ओर से जिलाध्यक्ष दानी सिंह ठाकुर, जिला संघर्ष समिति अध्यक्ष मनोज खरे, जिला सचिव पेनेन्द्र साहू एवं समस्त पट्वारी ने आभार जताया है।

दण्डात्मक् कार्यवाही के आदेश के विरोध में जलाई प्रतियांः हड़ताली पटवारियों ने बताया कि राजस्व सचिव ने काम में वापस नहीं जाने पर दण्डात्मक् कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं। पटवारी संघ गरियाबंद ने इसके विरोध में प्रतियां जलाई है। कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान पटवारियों ने मांगों को पूरा करने अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफजमकर नारेबाजी की।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

भगवान राम ने छग...

प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने माता कौशिल्या के ननिहाल चंदखुरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। माता के मंदिर तक कई जिलों से यहां पहुंचने वाले लोगों के रिसोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में नए पर्यटन स्थल का निर्माण होने से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएं जाएंगे। साथ ही गृहमंत्री ने राम के नाम पर राजनीति करने वालों को नसीहत भी दी है कि वे इस पुनीत काम को राजनीति से ना जोड़े। भगवान राम सभी के है। भाजपा के पूर्व मंत्री पर तंज कसते हुए मंत्री साहू ने कहा कि किस भाजपा के नेता के घर पर मंदिर है मंदिर देखना है तो कांग्रेसियों के घर में देखों। इसी के साथ विकासपरख पर्यटन स्थल का विकास करने की बात कहीं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400057
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक कनवल सिंह पिता हरभजन सिंह निवासी रायपुर ग्राम बकतरा प.ह.नं. 22 में स्थित भूमि खसरा नंबर 1355/1 रकबा 1.4070 हे. का भाग 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 19/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400053
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक कुश कुमार गुप्ता पिता बलराम प्रसाद गुप्ता निवासी रायपुर ग्राम गनौद प.ह.नं. 26 में स्थित भूमि खसरा नंबर 777 रकबा 0.340 हे. का भाग 0.090 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.090 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 19/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400060
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक गणेशराम चंद्राकर पिता चंदूलाल चंद्राकर द्वारा ग्राम गनौद प.ह.नं. 26 में स्थित भूमि खसरा नंबर 1154 रकबा 0.77 हे. का भाग रकबा 0.1200 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.77 हे. का भाग रकबा 0.1200 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यवसायिक प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 19/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम, जोन क्र. 5 रायपुर
ईदगाह भाठा, पानी टंकी, रायपुर (छ.ग.)
ph.No. 0771-40455819 Email rmczone5@gmail.com

ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना

नामांतरण प्र.क्र.-241 दिनांक 14.12.20
वार्ड का नाम वार्ड- भक्तमाता कर्मा-67

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड-67 स्थित भूमि ख.नं. 179/16 का भाग भूखण्ड ए-114 जो कि निगम अभिलेख में मेसर्स स्टार वैली इंडिया प्रा.लि. डायरेक्टर लोकेन्द्र पवार पिता श्री बी.एल. पवार के नाम से दर्ज है जिसको श्रीमती एनीश्वरी यादव पति डोमेन्द्र कुमार यादव ने रजिस्ट्री/ लिखित द्वारा वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी।

जोन कमिश्नर
जोन क्रमांक-5
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा वीरसावरकर नगर हीरापुर कालोनी, रायपुर में निर्मित एलआईजी-II भवन योजना के अंतर्गत भवनों में से भवन क्रमांक एलआईजी-II 2188 में श्रीमती विनीता अहिरवार पति श्री संतोष कुमार अहिरवार को भाड़ाक्रय/ पूर्णमूल्य आधार पर आबंटित किया गया है। आबंटी द्वारा दिनांक 23/01/2018 को विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया। आबंटी द्वारा दिनांक 05/11/2020 को निष्पादित विक्रय इकरारनामा की छायाप्रति प्रस्तुत कर भवन श्रीमती तनु यादव पति श्री बीरबल कुमार यादव के नाम से विक्रय करने के लिए विक्रय अनुमति की मांग की है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के विक्रय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01 कबीर नगर, रायपुर

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं भगवान दास (BHAGWAN DAS) S/O राम धारी यादव (RAM DHARI YADAV) निवासी वार्ड नं. 19 गायत्री कालोनी राजनांदगांव (छ.ग.) यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना पुराना नाम को त्याग कर नया नाम भगवान दास यादव (BHAGWAN DAS YADAV) S/O राम धारी यादव (RAM DHARI YADAV) रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम भगवान दास यादव (BHAGWAN DAS YADAV) S/O राम धारी यादव (RAM DHARI YADAV) से ही जाना पहचाना जावे।

BHAGWAN DAS YADAV
वार्ड नं. 19 गायत्री कालोनी राजनांदगांव (छ.ग.)

NAVA RAIPUR ATAL NAGAR BIKAS PRADHIKARAN
Paryavas bhawan, North Block, Sector-19, Nava Raipur Atal Nagar Distt. Raipur-492002, Chhattisgarh, India
Tel No: +91771 2512500, Fax No.: +91771 2512400,
Website: www.navaraipuratalnagar.com, http://eproc.cgstate.gov.in

E-Procurement Short Request for proposal

RFP No.:35/TPS(P)/NRANVP/2020-21/
NavaRaipur Atal Nagar, Dist. Raipur, Dated: 16.12.2020

The Chief Executive Officer, NRANVP invites Request for proposal for Selection of Consultant for **"Preparation of Town Planning Scheme under Nava Raipur Atal Nagar Town Development Scheme Along Expressway Corridor at Nava Raipur Atal Nagar, Dist Raipur (C.G.)"**

The Last Time & Date of Online Submission of the Proposal is 15:00hrs on 29.12.2020

The E-Procurement RFP documents can be downloaded from the portal (Website) http://eproc.cgstate.gov.in directly and shall be submitted online on the same website only after making on payment of bid participation fees online.

Amendment/Modification/Corrigendum in RFP, if any, will only be uploaded on the website and shall not be published in any newspaper.

S.-27268/2
Chief Executive Officer NRANVP

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400055
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक तिरपाल सिंह पिता हरभजन सिंह निवासी रायपुर ग्राम बकतरा प.ह.नं. 22 में स्थित भूमि खसरा नंबर 1356 का रकबा 1.5500 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 19/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400032
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरूचि गुप्ता पति सुखलाल गुप्ता निवासी ग्राम मुनरेठी प.ह.नं. 12 में स्थित भूमि खसरा नंबर 105/4 का रकबा 0.020 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.020 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 04/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400031
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुशीला राय पति गुलाब चंद निवासी ग्राम मुनरेठी प.ह.नं. 12 में स्थित भूमि खसरा नंबर 92/2 का रकबा 0.020 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.020 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 04/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400052
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक कुश कुमार गुप्ता पिता बलराम प्रसाद गुप्ता निवासी रायपुर ग्राम गनौद प.ह.नं. 26 में स्थित भूमि खसरा नंबर 777 रकबा 0.340 हे. का भाग 0.060 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.060 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 19/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. 202012112400059
अ/2 वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि आवेदक बोधराम चंद्रा पिता श्री ननकीदाउ चंद्रा निवासी रायपुर ग्राम गनौद प.ह.नं. 26 में स्थित भूमि खसरा नंबर 368/4 का रकबा 0.150 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादभूमि आवेदक के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा वादभूमि का रकबा 0.150 हे. का भाग रकबा 0.12 हे. भूमि का पुर्ननिर्धारण व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन में करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में किसी को दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत तिथि दिनांक 19/01/2021 तक मेरे न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अवधि के पश्चात प्रस्तुत दावा आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से जारी किया गया है।

सील
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय सिविल अस्पताल खैरागढ़, जिला राजनांदगांव छ.ग.

क्रमांक/लेखा शाखा/ 689 खैरागढ़, दिनांक 14.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंतर्गत सिविल अस्पताल खैरागढ़ में भोजन हेतु निम्नानुसार निविदा आमंत्रित है।

1. शासन द्वारा जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसववति माता को दो टाईम सुबह-शाम चाय, नास्ता तथा मैनु अनुसार भोजन प्रतिदिन 160 रु. की दर से उपलब्ध कराना है।
2. वार्ड में भर्ती मरीजों को दो टाईम सुबह-शाम- चाय, नास्ता तथा मैनु अनुसार भोजन प्रतिदिन 100 रु. की दर से उपलब्ध कराना है।

दिनांक 14.12.2020 से 24.12.2020 तक कार्यालय सिविल अस्पताल खैरागढ़ में कार्यालयीन समय सुबह 10.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक उपस्थित होकर टेंडर फार्म भोजन/नास्ता मैनु नियमावली शुल्क 100.00 रु. (वापसी योग्य नहीं) जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। सील बंद लिफाफे में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 26.12.2020 दोपहर 1.30 बजे तक है। दिनांक 26.12.2020 को संध्या 4.00 बजे निविदा खोला जावेगा।

जी-85682/2
खण्ड चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल खैरागढ़ जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

प्रदेश सरकार अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरा करे : साय

- प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना
- भाजपा कार्यकर्ता राज्य सरकार की नाकामियों को घर-घर तक पहुंचाएं

नवप्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय के गरियाबंद आगमन पर भाजपाईयों ने उनका जोशिला स्वागत किया। श्री साय अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर योजना के तहत गरियाबंद मंडल प्रशिक्षण वर्ग के उद्धघाटन सत्र पर पहुंचे हुए थे। प्रशिक्षण शिविर के मंच से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री साय ने केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। एमएसपी पर पहले की तरह ही खरीदी जारी रहेगी। किसान अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी अपनी उपज बेचकर राशि ले सकेंगे। कांट्रेक्ट् फार्मिंग को लेकर कहा कि पहली बार कानूनी प्लेटफार्म दी गई है, करार में केवल उपज का उल्लेख रहेगा, किसान के भूमि का नहीं। कांट्रेक्ट् खेती करने वाला जमीन पर कोई निवेश भी करता है, तो ऐसी स्थिति में भी जमीन का मालिकाना हक किसान के पास ही रहेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री साय ने राज्य् की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिन वायदों को लेकर कांग्रेस सत्ता में आई है, वो अब तक शत-प्रतिशत पूरे नहीं हुए हैं। कहा कि सत्ता में आने से पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में गंगाजल लेकर शराबबंदी करने की कसमें खाई थी, शराबबंदी तो नहीं हुई बल्कि कोरोनाकाल में शराब की घर पहुंच सेवा शुरू कर दी। श्री साय ने आगे कहा कि 25 सौ रूपए क्विंटल पर धान खरीदी करने की बात कही थी, किसानों को किश्त्-किश्त् में राशि दी जा रही है। नए खरीदी सत्र प्रारंभ हो गई है, लेकिन किसानों को अंतर की राशि का अंतिम एक किश्त् नहीं मिला है। बेरोजगारी भत्ता, नियमितीकरण सहित अन्य् वायदों की बात कहीं भी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ठगने का काम किया है। किसान कर्ज के चलते आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष श्री साय ने कांग्रेस सरकार के दो वर्षों की उपलब्धि को लेकर कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक आतंक चरम पर है, कानून व्यवस्था ठप हो गई है। राजधानी में दिनदहाड़े चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। माफियाराज हावी हो गई है। कहा कि कांग्रेस जिन वायदों को लेकर सत्ता में आई है, उन्हें पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है।

श्री साय गरियाबंद मंडल प्रशिक्षण वर्ग के उद्धघाटन सत्र पर पहुंचे हुए थे। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम् से श्री साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए पार्टी की रीति, नीति, विचारधारा सहित अन्य् विषयों पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत के माध्यम् से कृषि बिल को लेकर सोसायटी, समिति एवं आसपास जाकर किसानों से बातचीत करके उनके लाभ एवं फायदें बताएंगें।

इस अवसर पर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य् संदीप शर्मा, बिन्द्रानवागढ़ विधायक डमरूधर पुजारी, जिलाध्यक्ष राजेश साहू, महामंत्री अनिल चंद्राकर, डॉ. रामकुमार साहू, बलदेव सिंह हुंदल, आशीष शर्मा, भागीरथी मांझी, मुरलीधर सिन्हा, मिलेश्वरी साहू, गफ्फूमेमन, सुरेन्द्र सोनटेके, धनंजय नेताम सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

न्यूज गैलरी

माता देवालय तालाब की हुई सफाई

भाटापारा। नगर के तालाबो की साफसफाई का अभियान पालिका अधिकारी आशीष तिवारी के नेतृत्व में लगातार जारी है।गुरुवार को नगर के माता देवालय तालाब की सफाई कर लोगो से इसे साफसुथरा बनाये रखने अपील की गई। विदित हो की नगर का ऐतिहासिक सरोवर कल्याण सागर तालाब की बुधवार को जनप्रतिनिधियों के साथ पालिका अधिकारी कर्मचारीयो ने सफाई की थी।इस दौरान इस तालाब को निर्मल रखने स्वच्छ्ता की शपथ पालिका अधिकारी आशिष तिवारी ने दिलाई। नगर का प्रसिद्ध कल्याण सागर तालाब में बुधवार को विशेष रूप से सफाई अभियान चलाने के बाद दूसरे दिन भी माता देवालय तालाब में सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में जनप्रतिनिधि गण, नगर पालिका स्टाफएवं आम नागरिकों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और सामूहिक रूप से स्वच्छता श्रम दान कर साफ सफाई की गई । पालिका अधिकारी आशिष तिवारी ने लोगो एवम् जनप्रतिनिधियों के द्वारा किये गए श्रम दान की कंठ मुक्त से सराहना करते हुए नगर की इन अनमोल धरोहरो को बचाये रखने तथा तालाब को गंदगी मुक्त करने इसे निर्मल बनाये रखने की अपील करते हुए वह के लोगो को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई। माता देवालय तालाब की सफाई होने के पश्चात वहा का स्वरुप ही बदला बदला सा नजर आ रहा है।

मंत्री डॉ. डहरिया ने जनसम्पर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

भाटापारा। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने जिला पंचायत सभागार में राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर केन्द्रित जिला स्तरीय फोटो प्रदर्शनी का शुभांरभ किया। प्रदर्शनी का आयोजन जिला

जनसम्पर्क विभाग द्वारा जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत के सहयोग से किया गया है। प्रदर्शनी आम जनता के अवलोकन के लिए दो दिनों तक खुली रहेगी। रंगीन छायाचित्रों के संयोजन से राज्य में मुख्यमंत्री डॉ. भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले दो सालों में हुए विकास कार्यों को खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है।विकास कार्यों एवं उपलब्धियों की तथ्यात्मक जानकारी समेटे प्रदर्शनी शुरू के दिन से ही आगन्तुकों के आकर्षण का केन्द्र बन गई है। डॉ. डहरिया ने फीता काटकर प्रदर्शनी का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी काफी सराहना की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, पूर्व विधायक जनकराम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश कुमार वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेन्द्र ठाकुर, सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सदस्य सतीश अग्रवाल,जिला पंचायत सदस्य परमेश्वर यदु, एवं श्रीमती सीमा वर्मा ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन कर इसकी खूब प्रशंसा की। कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन एवं जिला पंचायत सीईओ डॉ. फरिहा आलम सिद्धिकी ने मंत्री डॉ. डहरिया को प्रदर्शनी का अवलोकन कराया। श्री डहरिया ने मीडिया प्रतिनिधियों को जनसम्पर्क संचालनालय से प्राप्त प्रचार सामग्री के किट भी वितरित किये।

फोटो प्रदर्शनी को मिल रहा बेहतर प्रतिसाद

गरियाबंद । वर्तमान राज्य सरकार के गौरवशाली दो वर्ष पूर्ण होने पर विकासीय योजनाओं के क्रियान्वयन और उपलब्धियों पर आधारित फोटो सह-विकास प्रदर्शनी जिला कार्यालय के परिसर में लगाई गई है। प्रदर्शनी में राज्य सरकार के दो वर्षो में किये गये विकास कार्यो, उपलब्धियों और योजनाओं को फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया है। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी को जिला कार्यालय में आने वाले नागरिकगण और शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भी अवलोकन कर रहे हैं। प्रदर्शनी में सरकार के महत्वपूर्ण बिजली बिल हॉफयोजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित 19 जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण आकर्षक तरीके से किया गया है। जिला कार्यालय में किसी कार्य से पहुंचे राजिम के गैंदलाल साहू ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी के माध्यम से हमें भूपेश बघेल सरकार के दो वर्ष में किये गये कार्यो की जानकारी मिलती है। वास्तव में सरकार द्वारा गांव, गरीब और किसान को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई है। इसी तरह रायपुर से पहुंचे दिनेश कुमार बघेल ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से सार्थक जानकारी मिल रही है। प्रदर्शनी स्थल से जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ विचारमाला सहित सम्बल पुस्तिका और विभिन्न पाम्पेल्ट्स को उनके द्वारा अध्ययन हेतु मांगने पर प्रदाय किया गया।

राम वनगमन पर्यटन रथ यात्रा और बाइक रैली का राजिम में भव्य स्वागत

रामरथ के दर्शन हेतु लोग हुए आतुर , फूल मालाओं से भव्य स्वागत

- जगह-जगह आरती और अभिनंदन
- मिट्टी व ध्वज को लेकर रैली नयापारा से चंदखुरी के लिए हुई रवाना
- कलेक्टर, एसपी ने बाईक चलाकर की रैली की अगुवानी

धमतरी कलेक्टर श्री मौर्य ने सौपा गरियाबंद कलेक्टर क्षीरसागर को रामध्वज, मिट्टी और रामचरित मानस

सुकमा के रामाराम से 14 दिसम्बर को निकली राम रथ तीसरे दिन बुधवार को लगभग रात सवा नौ बजे लोमश ऋषि आश्रम पहुंचा । रामरथ यहां पहुंचने पर फूलों से और आतिशबाजी के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर धमतरी जय प्रकाश मौर्य ने गरियाबंद जिले के कलेक्टर निलेश क्षीरसागर को ध्वजा, मिट्टी और रामचरित मानस ग्रन्थ सौंपा।

गरियाबंद। श्रीराम रथ आज सुबह राजिम के श्री राजीव लोचन मंदिर परिसर से जैसे ही नयापारा के लिए रवाना हुई पूरा वातावरण राममय हो उठा। जय श्री राम के उद्घोष के साथ मौहोल गुंजायमान हो गया। स्थानीय नागरिक रामरथ के एक झलक पाने आतुर हो रहे थे। 300 से ज्यादा बाईक सवार रामरथ के आगे-आगे चल रहे थे। सुमधुर राम भक्ति से ओतप्रोत और अध्यात्मिक मौहोल में रामरथ राजिम से नयापारा की ओर बढ़ने लगी। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने हरी झण्डी दिखाकर रथ को रवाना किया। श्रीरामरथ विश्वकर्मा मंदिर होते हुए पंडित सुंदरलाल शर्मा चैक पहुंची, जहां लोगों ने अभिभूत होकर स्वागत किया। राम रथ में भगवान रामचन्द्र, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण की मूरत देखकर लोग भावनाओं में बहते दिखे। जैसे ही रैली सुंदरलाल शर्मा चैक होकर नयापारा पुल पहुंची वहां बिहान की महिला समूहों ने फूलों की वर्षा कर अभिनंदन किया। इस दौरान बाईक सवारों ने रथ यात्रा की अगुवाई की।

बाईक रैली के नयापारा में प्रवेश करने पर अभनपुर विधायक धनेंद्र साहू, नगरपालिका अध्यक्ष श्री धनराज मध्यानी, सीईओ जिला पंचायत डॉ गौरव कुमार सिंह सहित जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों ने भव्य एवं आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर गरियाबंद जिला पंचायत अध्यक्ष स्मृति ठाकुर, कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रकांत वर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने पुष्प वर्षा एवं कलश धारण करके राम धुन के बीच रामरथ की अगवानी की और आयोजन स्थल पर रामायण पाठ एवं भजन गुंजते रहे।

इस अवसर पर दोनो जिलों के पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी,साधु और गणमान्य नागरिक और आम जनता मौजूद थे। तत्पश्चात रामरथ और बाइक रैली सोमवारी बाजार नवापारा पुल होते हुए श्यामाचरण चैक पहुंची जहां राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने विधिवत पूजा अर्चना कर रथ का आत्मीय स्वागत किया । यहां भी फूलों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया ।

कोविड टीकाकरण के लिए अंतर्विभागीय ऑनलाईन प्रशिक्षण सम्पन्न

गरियाबंद। भारत सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के नये टीकों की शुरूवात करने हेतु विभिन्न तैयारियां किया जाना है। उक्त निर्देश के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एन. आर.नवरत्न जिला गरियाबंद के निर्देशन में जिला स्तरीय अंतर्गविभागीय ऑन लाईन 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 15 दिसंबर 2020 व 16 दिसंबर 2020 तक जिला अस्पताल गरियाबंद में सम्पन्न किया गया। उक्त प्रशिक्षण में, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. बी.बारा, द्वारा बताया गया कि, कोरोना वायरस के बचाव व रोकथाम हेतु सेसन साईट अनुसार प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगो का टीकाकरण किया जायेगा, उक्त प्रशिक्षण में समस्त विकासखण्डों को कोविड 19 टीकों की समस्त तैयारिया जैसे कोल्ड चैन प्वाइंट (देवभोग मैनपुर अमलीपदर उरमाल छुरा पाण्डुका राजिम, फिंगेश्वर कोसमी, डी.एच.गरियाबंद एवं डीवीएस गरियाबंद) दूरूस्थ रखना, सभी स्थानों में ड्राई स्टोर की पर्याप्त व्यवस्था, टीको की उचित रखरखाव हेतु पर्याप्त स्थान, सेसन साईट का निर्धारण व कोविड 19 टीका पश्चात् प्रतिकूल प्रभाव होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में व आवश्यक गाईडलाईन अनुसार एईएफआई किट रख उपचार करना।

भाजपा के मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन

भटगांव। मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भाजपा मंडल भटगांव में केशरवानी धर्मशाला में रखा गया जो दो दिवसीय कार्यक्रम है यह केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग की दिशा निर्देशानुसार 15 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चली। जिसमें बौद्धिक प्रशिक्षण भी दिया गया। जिसमें प्रशिक्षण प्रभारियों में योगेश चंद्राकर पलारी, विजय केशरवानी बलौदाबाजार, ओम प्रकाश चंद्रवंशी पलारी, कृष्णा अवस्थी रिसदा, इन सभी ने 15 दिसंबर को भाजपा मंडल भटगांव के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया वही दूसरे दिन 16 दिसंबर को क्षेत्रीय सांसद गुहाराम अजगल्ले , तेज राम वर्मा पलारी, राजकुमार जायसवाल कसडोल, दुर्गा महेश्वर पलारी, अश्वनी शर्मा सुभाष जलान जिला महामंत्री आदि अतिथियों ने प्रशिक्षण दिया प्रथम दिवस भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ सनम जांगड़े ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा हमें पार्टी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारा भाजपा संगठन की एकता को बनाए रखने की कोशिश कम नहीं होनी चाहिए बल्कि और अधिक मेहनत के साथ काम करके दिखाना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं व वरिष्ठ लोगों को संघ में जोड़ कर ताकत बढ़ाना है। डॉ. सनम जांगड़े ने भाजपा मंडल भटगांव के कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए एक नई सोच के साथ जोश पैदा किया जिससे उपस्थित कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। दुसरे दिवस सांसद गुहाराम अजगल्ले ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के विचारधारा को अंगीकृत करते हुए कार्य करने के लिए प्रेरित किये और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुचाने का आहवान किया, वर्तमान में जो कृषि बिल देश में लागू हुआ है वह किसान हितैषी है एवं किसानों को दलालों एवं अडतियों से बचाने का कानून है।

तेदुभाटा में गुरू बाबा घासीदास जंयती आज

डोंगरगढ़। गुरू घासीदास बाबा की जयंती प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी समस्त सतनामी समाज तेदुभाठा द्वारा मुढिया पंचायत के आश्रित ग्राम तेंदुभाठा में हर्षोल्लास के साथ मनायी जाएगी। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से सतनाम संदेशों के नारो के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी। जिसमें सतनाम पंथी नृत्यदल ककरेल मुख्य आकार्षक होगें। गुरूद्वारा व सत्य के प्रतिक जोडा सतखाम में पालो श्रवेत झंडा चढाकर मंगल कामना सामुहिक आरती , महाप्रसादी वितरण ,रात्री 8 बजे से बच्चों का रिकार्डिंग पंथी डांस व गुरू बाबा की जीवनी पर प्रसंग प्रस्तुति आयोजित होगा। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामजी भारती अध्यक्ष राज्य अनु.जाति आयोग छ.ग., शिशुपाल भारती डोंगरगढ विधायक प्रतिनिधी, पुष्पा गौकरण वर्मा जिला पंचायत सदस्य, भारती मनीराम खुटेल जनपद सदस्य, मिश्रीलाल मारकण्डें जनपद सदस्य, सरपंच मुडिया दिनेश्वर वर्मा, दीपक पाटिला सरपंच मोहरा, मनोज वर्मा सरपंच बिजनापुर, लोकनाथ भारती सरक्षंक जिला सतनामी समाज, दयालु चंदेल पूर्व महामंत्री जिला, शंकर बघेल समाज प्रमुख भंडारी, नेरूपन वर्मा उपसरपंच सहीत समस्त पंचगण , संत, समाज व ग्रामीणजन शामिल होगें।

यात्री परेशान टिकट कैंसल कराने पर रेलवे काट रहा यात्रियों की जेब

अमरकंटक एक्सप्रेस में 70 की टिकट कैंसल करने पर मिलते है 10 रुपए

भाटापारा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जनरल क्लास के लिए यदि रिजर्वेशन करवाना है तो कैंसल करवाने की भूल ना करें। शताब्दी अमरकंटक एक्सप्रेस में रायपुर के लिए जारी हो रही 70 रुपए की टिकट पर मात्र 10 रुपए ही वापस होंगे। लिंक या साउथ बिहार एक्सप्रेस में बिलासपुर जाने वाले यात्रियों को ऐसी स्थिति में फूटी कौड़ी भी वापस नहीं होगी क्योंकि इस श्रेणी का किराया 45 रुपए है। यदि वापसी के लिए काउंटर पहुंचे तो कैंसिलेशन चार्ज में अंतर की राशि आप से ली जा सकती है।

आपदा को अवसर में कैसे बदला जा सकता है इसके लिए फिलहाल रेलवे जैसी दूसरी कोई पाठशाला नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन पर ही यात्रा के बंधन के बीच मुसीबत का सामना कर रहे यात्रियों का दर्द अब सहन की हदें पार करता नजर

आ रहा है। लोकल और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद। सीमित संख्या में चलती यात्री ट्रेनें और रिजर्वेशन पर ही यात्रा की अनुमति हर रोज नए अनुभव करवा रही है। ताजा मामला उन रेल यात्रियों से जुड़ा हुआ है जो रिजर्वेशन कैंसल करवाने रिजर्वेशन काउंटर पहुंच रहे हैं। कैंसिलेशन चार्ज के रूप में जो रकम काटी जा रही है वह पीड़ा के साथ आर्थिक नुकसान भी पहुंचा रही है।

बंधन शर्तों का: सीट उपलब्ध होने पर ही टिकट होंगे जारी। वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होने की स्थिति में वापसी पर कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काटे जाएंगे 60 रुपए। यह दो शर्त रायपुर और बिलासपुर जाने वाले यात्रियों पर बेहद भारी पड़ रहे हैं। स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट में टिकट किराया इतना ज्यादा है कि दोनों शहरों के लिए जनशताब्दी, अमरकंटक और अंबिकापुर एक्सप्रेस की सामान्य श्रेणी में यात्रा की जा रही है तो बिलासपुर जाने के लिए लिंक और साउथ बिहार एक्सप्रेस का सहारा लिया जा रहा है लेकिन टिकट भाड़ा के बाद अब कैंसल करवाने वाले यात्रियों को कैंसिलेशन चार्ज बेहद आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है।

टिकट और कैंसिलेशन चार्ज

रायपुर और बिलासपुर के बीच चल रही 15 यात्री ट्रेनों में किराया भी अलग-अलग है लेकिन इन दोनों शहरों के लिए सस्ती पड़ रही लिंक, साउथ बिहार, जनशताब्दी, अमरकंटक और अंबिकापुर एक्सप्रेस के यात्रियों को टिकट कैंसल करवाना बेहद महंगा पड़ रहा है। रायपुर के लिए यात्रा करने वाले यात्री अधिकतर रिजर्वेशन जनरल क्लास के लिए करवा रहे हैं। 75 रुपए की टिकट की वापसी पर 60 रुपए काटे जाने के बाद हाथ आते महज 15 रुपए के लिए लाइन में लगना और भी ज्यादा पीड़ादायक है तो बिलासपुर जाने वाले यात्रियों को 45 रुपए की टिकट को कैंसल करवाने के बाद फूटी कौड़ी हाथ नहीं आ रही क्योंकि कैंसिलेशन चार्ज ही 60 रुपए किया जा चुका है। ऐसे में काउंटर पर अंतर की राशि यात्रियों से ली जा सकती है। इसलिए यात्री कैंसिलेशन के लिए लाइन से बाहर हो चुके हैं।

किसमें कितना किराया

सामान्य दर्जा की बोगियों में यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस में भाटापारा से रायपुर के लिए टिकट दर 50 से 65 रुपए है तो सुपरफास्ट में यात्रा के लिए 75 रुपए देने होंगे। भाटापारा से यदि बिलासपुर जाना हो तो एक्सप्रेस में 45 रुपए लिए जा रहे हैं। सुपरफास्ट में 65 से 90 रुपए का किराया देना होगा। स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन करवाना भी बेहद महंगा हो चुका है। रायपुर के लिए एक्सप्रेस में 135 से 140 रुपए, सुपरफास्ट में 165 से 175 रुपए, सीजन स्पेशल के लिए 415 और कोरबा स्पेशल की टिकट 385 रुपए में मिलेगी। भाटापारा से बिलासपुर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन की टिकट 175 रुपए में तो फेस्टिवल स्पेशल के लिए 355 से 415 रुपए चुकाने होंगे। जबकि एक्सप्रेस के लिए 135 से 145 और सुपरफास्ट की टिकट 165 से 175 रुपए में मिलेगी।

न्यूज गैलरी

विजय बघेल हाथाडाडू में करेंगे ध्वजारोहण

नवागढ़। बाबा गुरु घासीदास के 264 वी जयंती कार्यक्रम में ग्राम हाथाडाडू में मुख्य अतिथि के रूप में राज महंत विजय बघेल सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के हाथों से शाम 4 बजे जय स्तंभ में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होगा। अध्यक्षता मिथलेश्वरी महिलांग सरपंच हाथाडाडू करेंगी। रात्रि 10 बजे से भगवती टांडेश्वरी पंथी भजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम की जानकारी भीष्मा देव कुर्रे राज महंत, मालिकराम लहरें भंडारी, गुलाब दास मिलन, कौशल घृतलहरे, उमेंद्र सोनवानी ने जानकारी दी है।

गुरूकुल के विद्यार्थी ने विज्ञान मंथन परीक्षा में लहराया परचम

कवर्धा(नवप्रदेश)। विज्ञान और तकनीकी विभाग भारत सरकार द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा 2020 आयोजित कराई गई। जिसमें गुरूकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा का छात्र सुब्रत चोपड़ा कक्षा 9वीं 'ब' ने सहभागिता निभाकर पूरे कबीरधाम जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर शाला परिवार को गौरवान्वित किया है।

उक्त छात्र का चयन राज्य स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा के लिये हुआ हैं। इस प्रतियोगिता की तैयारी कराने का श्रेय शाला के शिक्षक श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला का रहा है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शाला के प्राचार्य श्री वी.के.श्रीवास्तव जी एवं उप-प्राचार्या श्रीमती सोनाली पात्रा जी द्वय ने कहा यह हमारी शाला में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का ही प्रतिफल हैं । संस्था के अध्यक्ष श्री महावीर जैन जी, सचिव श्री अतुल देशलहरा जी, कोषाध्यक्ष श्री संतोष बोथरा जी व समस्त पदाधिकारी तथा निदेशकगण ने सुब्रत चोपड़ा को इस सफलता पर हार्दिक बधाइयाँ व उज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी।

नपा अध्यक्ष के हाथो हुड कांस्टेसिंग मशीन का उद्घाटन

डोंगरगढ़। स्थानिय नगर पालिका द्वारा गोबर से लकडी बनाने यहा वार्ड नं 1 स्थित कचरा संग्रहण केंद में हुड कांस्टेसिंग मशीन लगायी गई है जिसका गुरूवार को नपा अध्यक्ष सुदेश मेश्राम द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष संजीव गोमास्ता, एल्डरमेन रिम्मी भाटिया, मो. शाबीर, शहर महिला अध्यक्ष किरण देउडकर ,अनील मेश्राम ,जितेद्र सिह भाटिया, नरेश करसे, ममता शिदें, वसीम खान, मयुर हत्थेल, प्रकाश महानदी, मतीन खान, ललीता साखरे की उपस्थिती में उद्घाटन किया गया। नपा अध्यक्ष श्री मेश्राम ने चर्चा में बताया कि प्रदेश कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर यहा वार्ड न 1 में नगर पलिका द्वारा में लगाए गए हुड कास्टेसिंग मशीन का उद्घाटन किया गया । पहले जहा वार्ड व ग्रामीण अंचलो में गोबर को फेक दिया जाता था वही अब गोबर को इकठ्ठा कर वर्मी खाद बनाने के साथ -साथ इस मशीन से लकडी बनाया जाएगा जो एक प्रकार का इंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है । मिली जानकारी के अनुसार उक्त मशीन से वार्ड व ग्रामीण अचंलो से स्वच्छता कर्मीयो द्वारा गोबर इकठ्ठा कर एक घंटे में लगभग 200 से अधिक लकडी बनायी जाएगी जो कि जलाउ इधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है इससे स्वच्छता कर्मचारीयो को भी आर्थिक तौर पर मजबुती के लिए मदद मिल सकेगी।

एक्शन मूड में जनपद सीईओ, नोटिस जारी कर मांगे दस्तावेज

नवप्रदेश संवाददाता

दस्तावेज जमा नहीं वसूली में लेट लतीफ देख पंचों सहित ग्रामीणों में रोष

खबर का असर

> हमने पंचायत के सचिवों को नोटिस जारी कर बिल वाउचर सहित तमाम जानकारी मांगा है और दस्तावेज प्राप्त होते ही एसडीएम न्यायालय तत्काल भेजा जाएगा
>
> **एम एल मंडावी,** जनपद सीईओ

देवभोग। सौलर लाइट मामले पर दस्तावेज जमा नहीं करने को लेकर नवप्रदेश मे समाचार प्रकाशित होने के बाद जनपद सीईओ एम एल मंडावी ने 16 पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर बिल बाउचर सहित तमाम जानकारी मांगा है । ताकि जल्द से जल्द एसडीएम न्यायालय में दस्तावेज जमा कर प्रकरण दर्ज करते हुए रिकवरी की कार्यवाही किया जाए। क्योंकि कार्यवाही मैं लेट लतीफदेख कर गांव से सोशल मीडिया तक तरह-तरह की सवाल खड़ा किया जा रहा है। यही वजह है कि ग्रामीणों की निगाहें जनपद सीईओ और एसडीएम की ओर टिकी हुई है। यहां बताना लाजमी होगा कि ब्लॉक के 16 पंचायत ने 14वें वित्त मद से लाखों रुपए खर्च कर सौलर लाइट खरीद लिया जिसमें नियम को दरकिनार कर सप्लायर को राशि भी जारी कर दिया गया। जिसके खिलाफ तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ ने वसूली की कार्यवाही के लिए पत्र जारी किया लेकिन कागजी कार्यवाही पखवाड़े भर बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया मतलब मामला अब तक एसडीएम न्यायालय भी नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि जनपद पंचायत ने संबंधित पंचायत से बिल वाउचर सहित अन्य जानकारी मंगाने में असफल रही है। जिससे अवगत ग्रामीण एवं पंचों के बीच रोष व्यक्त होने को लेकर नवप्रदेश में समाचार प्रकाशित होने के बाद जनपद सीईओ एमएल मंडावी ने संबंधित पंचायत के सचिव को नोटिस जारी कर तमाम जानकारी समय सीमा के जमा करने के लिए स्पष्ट निर्देशित किया है। इससे और भी पंचायत के सचिव सरपंच भी सहमे हुए हैं। कि जिस तरह लाखों की लागत से सौलर लाइट खरीदा गया है। उसका भुगतान किस तरह और किस मद से किया जाए क्योंकि ऐसे सौलर लाइट ब्लॉक के 45 से ज्यादा पंचायतों में लगाया गया है। जिसकी क्वालिटी पर भी अब सवाल खड़ा किया जा रहा है।

नगर विकास में हम सभी की भागीदारी आवश्यक : ऋषि शर्मा

■ नगर पालिका टीम के साथ वार्ड का निरीक्षण

कवर्धा(नवप्रदेश)। शहर का विकास हम सब मिलकर करेगें, कार्य योजना बनाकर नगर विकास किया जा रहा है इस कार्य में हम सब की भागीदारी आवश्यक है नगर पालिका टीम द्वारा सभी वार्डो में मूलभूत सुविधाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहे है शासन की जनकल्याणकारियों योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए वार्ड की समस्याओं का निपटारा वार्ड में ही हो ऐसा प्रयास नगर पालिका टीम द्वारा किया जा रहा है उपरोक्त बाते आज डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड क्रं. 07 का निरीक्षण करने पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि माननीय कैबिनेट मंत्री व विधायक मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वार्डो का निरीक्षण कर वार्डो के समस्याओं का समाधान किया जा रहा है पैदल 2 घंटे तक वार्ड के सभी गलियों में नगर पालिका टीम के साथ लोगों की समस्याओं को सुना तथा उनके समस्याओं को निराकरण करने का आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने आज डॉ.भीमराव अंबेडकर वार्ड क्रं. 07 के सभी गलियों मे नगर पालिका टीम के साथ पदैल घुम-घुमकर लोगों की समस्याओं व उनके मांगो को सुना। नगर पालिका अध्यक्ष ने उपस्थित अधिकारियों के साथ निरीक्षण वार्ड में नाली सफाई, नल कनेक्शन सहित अन्य मूलभूत समस्याओं का त्वरित निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होनें वार्ड के पुराने जर्जर नालियों को तोड़कर नया हाफ राउंड नाली, आरसीसी नाली, सीसी रोड़ निर्माण किये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर राशि मांग हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने को कहा। जर्जर सीसी रोड़ को रिनिवल किये जाने, जिन गलियों में पाईप लाईन नही बिछाया गया है उन गलियों का सर्वे कर पाईप लाईन विस्तारीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया।

सफाई व्यवस्था दुरस्त करने निर्देश

वार्डवासियों ने बरसात के समय में घरो में पानी घुसने की बात कही तथा बरसाती पानी घुसने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसे दूर किये जाने हेतु नपाध्यक्ष से निवेदन किया। नगर पालिका पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने सफाई दरोगा हुलास सिंह ठाकुर का निर्देशित करते हुए कहा कि बरसात पूर्व सभी नालियों का साफ-सफाई किया जावे। ताकि वार्डवासियों को बरसात के दिनों में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडे।

हत्या के प्रयास में नहीं मिली सफलता, पुलिस के डर से फरार

कोतवाली पुलिस ने फरार दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी तथा उप पुलिस अधीक्षक बी आर मंडावी के मार्गदर्शन में फरार आरोपीगण के गिरफ्तारी हेतु दिशानिर्देश प्राप्त हुआ था जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मुकेश यादव के नेतृत्व में थाना कवर्धा के अपराध क्रमांक 664/2020 धारा 294,323,506 बी , 147 , 148 , 149 , 452,307,427 भादवि 25,27 आर्स एक्ट के फरार आरोपी की पता तलाश लगातार जारी थी जिसे पकड़ने में कोतवाली पुलिस टीम को सफलता मिली जिसमें 01.दासुल साहू पिता अंधेर साहू उम्र 55 साल 02.सखैतीन बाई पति राजकुमार साहू उम्र 40 साल साकिनान सरेखा थाना कवर्धा के द्वारा फटाखा फोडने के नाम से वाद विवाद कर रामविलास साहू को जान से मारने के मकसद से अपराध घटित किए थे। पुलिस के संज्ञान में आते ही अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गये थे, जिन्हें थाना प्रभारी मुकेश यादव द्वारा टीम गठित कर लगातार पतासाजी कर गिरफ्तार किया गया तथा ज्यूडिसियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है । फरार आरोपीगण की गिरफ्तारी में सउनि आशिष सिंह , सउनि उमा बल्ले , आर .381 समशेर अली , आर .456 हिरेन्द्र साहू , आरक्षक 361 खेलन राम पाटले , आर . 339 उपेन्द्र सिंह , आर .702 उमाशंकर साहू एवं सैनिक 80 अनिल पाण्डेय का सराहनीय योगदान रहा है ।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400231

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री महेश कुमार बोरकर पिता स्व. के.सी. बोरकर निवासी सुपेला भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 291/19 रकबा 0.015 हें/ 1505 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400247

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मोतेश्वर खोब्रागढ़े अन्य पिता मदनलाल खोब्रागढ़े निवासी मरोदा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 288/6 रकबा 0.02 हें/ 1890.5 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

व्यक्तिगत-सूचना

रा.प्र.क्र./75/अ-06/ वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202011101000117

प्रति,
सुखराम आ. तुलसीराम, निवासी 10 ए/14/ से 01 भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)
पक्षकार- श्रीमती उषा सिन्हा पति योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निवासी जोन 03 खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग
विरुद्ध : सुखराम आ. तुलसीराम, निवासी 10 ए/14/ से 01 भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

--00---

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्रीमती उषा सिन्हा पति योगेन्द्र प्रसाद सिन्हा, निवासी जोन 03 खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न 19 तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि ख.न. 7277/9 रकबा 0.02 हे. भूमि को विक्रेता सुखराम आ. तुलसीराम निवासी सेक्टर 01 भिलाई से पंजीकृत बैनामा द्वारा दिनांक 01.09.2006 को क्रय कर नामांतरण किए जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस संबंध में आपको किसी प्रकार का दावा करना हो तो स्वयं या आपके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से पेशी दिनांक 24.12.2020 को दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.12.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहार से जारी किया गया है।

मुहर — **अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सुनीता सोनी पति संतोष कुमार निवासी ग्राम बोरसी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 129/3 का टु. रकबा 0.010 हे. भूमि को विक्रेता सी.एस. चंदेल पिता ध्रुव सिंह चंदेल निवासी ग्राम मैथिलपारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 29.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./534/अ-74/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202012100700134

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री कामराजू पिता स्व. एन चन्दैया निवासी हरिनगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 27/5 रकबा 0.023 हे. भूमि जो कि आवेदक/शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 09.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी.- 202012100700182

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जाहंगीर खान अन्य 04 पिता स्व. रहीम खान निवासी ग्राम हरिनगर तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कातुलबोर्ड तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 3/138 रकबा 0.022 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार जैबू निशा पति जाहंगीर खां की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202012100700114

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती पूनम वर्मा अन्य 01 पति घनश्याम वर्मा निवासी ग्राम पोलसाय पारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1075/21 रकबा 0.004 हे. भूमि को विक्रेता श्रीमती अल्का चौहान पिता/ पति ओमप्रकाश चौहान निवासी ग्राम तकियापारा दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 23.10.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 24.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका निर्मला साहू पति स्व. ठाकुराम साहू निवासी ग्राम गोढी तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 399/6 रकबा 0.026 हे. भूमि को विक्रेता हेमिन बाई अन्य पिता/पति स्व. पंचराम निवासी ग्राम बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री ओमप्रकाश साहू पिता स्व. ठाकुराम साहू निवासी ग्राम गोढी तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 399/6 रकबा 0.022 हे. भूमि को विक्रेता हेमिन बाई अन्य पिता/पति स्व. पंचराम निवासी ग्राम बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री जयप्रकाश साहू पिता स्व. ठाकुरराम साहू निवासी ग्राम गोढी तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 399/6 रकबा 0.022 हे. भूमि को विक्रेता हेमिन बाई अन्य पिता/पति स्व. पंचराम निवासी ग्राम बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अश्वनी कुमार साहू पिता भरतलाल साहू निवासी ग्राम सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 399/6 रकबा 0.026 हे. भूमि को विक्रेता हेमिन बाई अन्य पिता/पति स्व. पंचराम निवासी ग्राम बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.11.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 29.12.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.12.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400251

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सरिता टावरी पति ओमप्रकाश टावरी निवासी महेश कालोनी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 55 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 368/37 रकबा 0.0090 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400250

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शांतिलाल जैन आ. बनवारी लाल जैन निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 55 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 268/38 रकबा 0.009 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री ओमप्रकाश टावरी पिता बिट्ठलदास जी टावरी निवासी महेश कालोनी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 56 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 368/38 रकबा 0.009 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400242

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती नेहा जैन पति प्रयास जैन निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 55 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 368/39 रकबा 0.009 हें/ 1000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400516

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार साहू आ. पुनाराम साहू निवासी बेलटिकरी पो. राहुद तह. गुण्डरदेही द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम डुमरडीह प.ह.न. 30/41 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 599/44 रकबा 0.01 हें/ 1300 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400474

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार साहू आ. पुनाराम साहू निवासी गुण्डरदेही जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1060/4 रकबा 0.01 हें/ 900 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400232

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती वंदना पिता/पति कंवरलाल निवासी सेक्टर 4 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 251/20 रकबा 0.02 हें/ 2080 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400245

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री हेमंत कुमार खोब्रागढ़े अन्य पिता मदनलाल खोब्रागढ़े निवासी रुआबांधा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 218/7 रकबा 0.022 हें/ 2475 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202012100400246

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री हेमंत कुमार खोब्रागढ़े अन्य पिता मदनलाल खोब्रागढ़े निवासी रुआबांधा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 288/7 रकबा 0.02 हें/ 2241 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 10.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

हाथियों के दल ने युवक को उतारा मौत के घाट
पुरा गांव सदमे में, मां का रो-रो कर बुरा हाल

नवप्रदेश संवाददाता

डौंडी। बुधवार की रात बालोद जिला के आदिवासी ब्लाक डौंडी के ग्राम लिमऊडीह खल्लारीपारा के 17 वर्षीय युवक डोमेंद्र सिंह धुर्वे पिता हीरासिंह धुर्वे को हाथियों के दल ने ग्राम से कुछ दूर खेत में मार डाला, उक्त घटना को लेकर ग्राम सहित आसपास के ग्रामीण जन विभागीय प्रशासन के विरुद्ध काफी आक्रोशित नजर आए। घटना रात के 8 बजे की करीब की बताई जा रही है घटना के बाद रात भर नाबालिक युवक का शव खेत मे ही पड़ा रहा,सुबह जैसे ही वन अमला सहित अन्य प्रशासन की टीम घटना स्थल पहुँची लोगों की भीड़ वन विभाग के कार्य शैली को लेकर भड़क गए। डेढ़ महीने से हाथी को काबू में नही ला पाने और क्षेत्र से बाहर खदेड़ने में नाकाम वन अमला के डौंडी रेंजर से ग्रामीणों की भीड़ ने स्पष्ट जवाब जानना चाहा कि क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके हाथियों की दल को आखिर किस तिथि तक बाहर खदेड़ा जाएगा। आक्रोशित ग्रामीणों ने इस मामले में लाश को लेकर हड़ताल व चक्काजाम करने की बात पर अड़ रहे थे, किंतु एसडीएम ऋषिकेश,नायाब तहसीलदार विनय देवांगन, डौंडी टीआई अनिल ठाकुर, समझाईश पश्चात मृतक का पंचनामा होने दिया गया तथा पीएम प्रक्रिया बाद शव परिजनों को सौंपी गई।

ऐसे शांत हुए भड़के ग्रामीण

जब घटना को लेकर ग्रामीणों की भीड़ आक्रोशित हो रहे थे तब कई सवाल जवाब भी चल रहा था ऐसे में ग्रामीण और प्रशासनिक महकमे के बीच यह मध्यस्था बनी कि हाथियों को बाहरी दिशा खदेड़ने हेतु आगे टीम बनाकर काम किया जायेगा जिसमें ग्रामीणों का भी सहयोग लिया जायेगा। प्रभावित ग्रामों व जंगल मार्गो में रात्रि जगह जगह लकड़ी अलाव जलाकर हाथियों को बाहरी स्थल खदेड़ने का कार्य होगा। वन विभाग द्वारा शासकीय नियमो तहत अंत्येष्टि हेतु तत्काल 25 हजार व आगामी दिनों 5 लाख 75 हजार की सहायता राशि प्रभावित परिवार को दी जायेगी। मंत्री अनिला भेड़िया के प्रतिनिधि पीयूष सोनी द्वारा भी त्वरित 11 हजार रुपये की सहायता राशि पीड़ित परिवार को सौंपी गई।